

**कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट**  
**सोनभद्र – (उ0प्र0)**

05446-252020

PIN Code: 231217

Email: dforkt@yahoo.co.in

पत्रांक— 2363 /रेनुकूट /15-6 रेनुकूट, दिनांक, जनवरी, 15 सेवा में, 2025

✓ मुख्य वन संरक्षक  
मीरजापुर क्षेत्र  
मीरजापुर ।

विषय:- Regularization of 555.759 ha of diverted forest land for the construction of Rihand Super Thermal Power Project under Renukoot Forest Division In Sonebhabra district of Uttar Pradesh (Online Proposal No.FP/UP/THERMAL/36097/2018)

संदर्भ:-  
 1-भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अग्नि विंग इन्डिया पर्यावरण भवन, जोर बाग, अलीगंज नई दिल्ली का पत्रांक- 8-412/1989-एफ0सी0(वालूम - 111) दिनांक- 02.08.2024  
 2-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्रांक-329/11-सी FP/UP/THERMAL/36097/2018 लखनऊ दिनांक-02.08.2024  
 3-मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर का पत्रांक- सा0 1259/मी0क्षे0/33 दिनांक- 12.09.2024  
 4-मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर का पत्रांक- सा0 1578/मी0क्षे0/33 दिनांक- 04.10.2024  
 5-इस कार्यालय का पत्रांक- 1606/रेनुकूट /15-6 दिनांक- 12.11.2024  
 6-मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर का पत्रांक- 2135/मी0क्षे0/33 मीरजापुर दिनांक- 19.11.2024

महोदय,

विषयक प्रकरण संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक- 02.08.2024 द्वारा माँगी गयी विन्दुवार वांछित सूचना प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त करते हुए निम्ननामुसार अवलोकनार्थ एवं संस्तुति सहित अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

S.No.	Question
(i)	The proposal for diversion of 744.00 ha forest land has been given Stage-1 by the Ministry vide letter dated 23.08.1991. Instead of submitting the compliance of Stage-1 as directed by Forest Advisory Committee in its meeting dated 16.11.2007, the State Government has submitted the new proposal for regularisation of 555.759 Ha. The State Government shall submit the justification for the same.

उक्त विन्दु संख्या-1 के अनुपालन में निम्न प्रकार अवगत कराना है :-

1. जनपद-सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग अन्तर्गत एन.टी.पी.सी रिहन्दनगर-बीजपुर के जनरल मैनेजर ने अपने पत्र संख्या- 070/पी.एप्ड.ए.एल.ए. दिनांक- 03.07.1989 (संलग्नक-1) द्वारा 2351.453 एकड़ (951.60हें) वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया जिसका ग्रामवार क्षेत्रफल निम्न प्रकार है।

क्र. सं.	ग्राम का नाम	धारा-4 की वन भूमि का क्षेत्रफल एकड़ में	धारा-20 की वन भूमि का क्षेत्रफल एकड़ में
1	बीजपुर	634.23	-
2	नकटू अधीरा	33.910	-

3	डोडहर	157.690	-
4	सिरसोती	32.598	-
5	खेरी	74.410	-
6	लखरा	139.53	-
7	मिटिहिनी	69.59	68.56
8	खन्हरिया	116.50	32.125
9	झीलो	254.25	738.06
	योग-	1512.708 Acr	838.745 Acr

कुल रकमा 1512.708 + 838.745 = 2351.453 एकड़ या 951.60 है।

उक्त प्रस्ताव को उच्च स्तर के माध्यम से भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पर्यावरण भवन सी. जी.ओ. कम्पलेक्स लोदी रोड नई दिल्ली की सेवा में प्रेषित किया गया। इस संबंध में भारत सरकार के स्तर पर सलाहकार समिति की बैठक दिनांक- 24.07.1990 को आयोजित की गयी। उक्त बैठक में लिये गये निर्णय के पश्चात प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षणोपरान्त भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. कम्पलेक्स लोदी रोड नई दिल्ली ने अपने आदेश संख्या- 8-412/89- एफ.सी. दिनांक- 23.08.1991 (संलग्नक-2) द्वारा 951.60 हे. में से (744.00 हे.) वन भूमि हस्तान्तरण करने हेतु 2(दो) शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश जारी किया गया जिसका दोनों शर्त संख्या एवं ग्रामवार क्षेत्रफल निम्न प्रकार है।

**(a)** The State Govt. should identify 744 ha. Of non-forest land immediately with comprehensive compensatory afforestation scheme and map. State Govt. should also take action for transfer of 744 ha. Of non- forest land in favour of Forest Deptt. To be followed up with notification declaring the same is protected forest.

**(b)** The User agency will have to transfer the cost of compensatory afforestation in favour of Forest Deptt.

क्र. सं.	ग्राम का नाम	धारा-4 की वन भूमि का क्षेत्रफल एकड़ में	धारा-20 की वन भूमि का क्षेत्रफल एकड़ में
1	बीजपुर	634.23	-
2	नकटू अधीरा	33.910	-
3	डोडहर	157.690	-
4	सिरसोती	32.598	-
5	खेरी	74.410	-
6	मिटिहिनी	69.59	68.56
7	खन्हरिया	116.50	32.125
8	झीलो	254.25	364.58
	योग-	1373.178 Acr	465.265 Acr

कुल रकमा 1373.178 + 465.265 = 1838.443 एकड़ या 744.00 हे।

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पर्यावरण भवन सी.जी.ओ.कम्पलेक्स लोदी रोड नई दिल्ली द्वारा जारी उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश के अनुपालन में एन.टी.पी.सी. द्वारा कुल 1373.178 + 465.265 = 1838.443 एकड़ (744.00 हे.) समतुल्य गैर वन भूमि एवं इस पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि वन विभाग को उपलब्ध कराया जाना था ।

2. कैमूर के दक्षिण में निवास कर रहे आदिवासी ग्रामीणों एवं भूमिहीनों कृषकों द्वारा खेती के उपयोग में लाई जा रही अतिकमित एवं वर्ग-4 के रूप में दर्ज वन भूमि पर भौमिक अधिकार प्रदान किये जाने आदि के संबंध में एक रख्य सेवी संस्थान बनवासी सेवा आश्रम द्वारा (एन.टी.पी.सी. द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतिकरण की तिथि से पूर्व) माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिका संख्या-1061/1982 दाखिल किया गया । उक्त रिट याचिका में एन.टी.पी.सी. द्वारा भी पक्षकार बनते हुए प्लान्ट आदि के निर्माण में आने वाली समस्याओं के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय को अवगत कराया गया । उक्त पर विचार करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक-20.11.88 (संलग्नक-3) को आदेश पारित करते हुए यह निर्देशित किया गया कि एन.टी.पी.सी. से प्रभावित ग्रामों पर किसानों आदि के कब्जे आदि का सत्यापन एक कमिशनर की नियुक्ति करते हुए एन.टी.पी.सी. रिहन्द को आवश्यक धारा-4 की वन भूमि का कब्जा दे दिया जाय । माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक- 20.11.88 का मुख्य अंश निम्न प्रकार है । :-

(5) The land sought to be acquired for the Rihand Super Thermal Power Project of the NTPC shall be freed from the ban of dispossession . Such land is said to be about 153 acres for Ash Pipe Line and 1643 acres for Ash Dyke and are located in the villages of Khamariya, Mithanai, Parbatwa, Jheelotola, Dodhare and Jarha. Possession thereof may be taken after complying with the provisions of the Land Acquisition Act, but such possession should be taken in the presence of one of the Commissioners who are being appointed by this order and a detailed record of the nature and extent of the land, the same of the person who is being dispossessed and the nature of enjoyment of the land and all other relevant particulars should be kept for appropriate use in future. Such records shall be duly certified by the Commissioner in whose presence possession is taken and the same should be available for use in all proceedings that may be taken subsequently.

The NTPC has agreed before the Court that it shall strictly follow the policy on " facilities to be given to land oustees" as placed before the court in the matter of lands which are subjected to acquisition for its purpose, The same be taken as an undertaking to the court.

उक्त आदेश के अनुपालन में श्री राम प्रकाश पाण्डेय कमिशनर सुप्रीम कोर्ट आफ इण्डिया की नियुक्ति की गयी । श्री राम प्रकाश पाण्डेय कमिशनर सुप्रीम कोर्ट आफ इण्डिया द्वारा विभिन्न ग्रामों में एन.टी.पी.सी. के स्तर से वांछित धारा-4 की भूमि पर किसानों आदि के कब्जे का सत्यापन करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक- 14.12.1988 (संलग्नक-4) के अनुपालन में एन.टी.पी.सी. को वांछित वन भूमि उपलब्ध करायी गयी जिस पर एन.टी.पी.सी.द्वारा प्लान्ट की स्थापना की गयी । उपरोक्तानुसार उपलब्ध करायी गयी वन भूमि में किसानों आदि के कब्जे की भूमि का ग्रामवार विवरण निम्नवत है :-

क्र. सं.	ग्राम का नाम	भा.व.अ.1927 की धारा-4 के अन्तर्गत विज्ञापित भूमि एकड़ में	सदरस्य बोर्ड आफ कमिशनर द्वारा उपलब्ध करायी गयी धारा-4 की भूमि क्षेत्रफल एकड़ में	सदरस्य बोर्ड आफ कमिशनर द्वारा भूमि उपलब्ध कराने की तिथि
1	बीजपुर	634.23	541.430	18.06.89
2	डोडहर	157.69	141.621	24.01.89
3	सिरसोती	32.598	31.108	17.02.89
4	खीरी	74.41	41.844	12.03.88

विभागात्मक, उ०प्र० लखनऊ के दिशा-निर्देशों के अनुसार मुख्य वन राज्यक, गीरजापुर थोड़, गीरजापुर हारा हस्तान्तरण की कार्यवाही सम्पन्न करायी जायेगी ।

4- एन०टी०पी०सी० द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले संशोधित प्रस्ताव में शुद्ध वर्तमान मूल्य को पूर्ण में जमा की गई शुद्ध वर्तमान मूल्य की धनराशि रो समायोजित किया जायेगा ।

5- संशोधित वन भूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव में भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार क्षतिपूर्ति हेतु दूगने अवतन वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की 10 वर्षों के अनुरक्षण सहित आवश्यक धनराशि वर्तमान संशोधित दर के अनुसार मौग की जायेगी , जिसमें एन०टी०पी०सी० द्वारा पूर्ण में जमा की गई क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि को समायोजित किया जायेगा ।

6- एन०टी०पी०सी० द्वारा संशोधित वास्तविक क्षेत्रफल के अनुसार प्रस्तुत प्रस्ताव का सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा ।

7- एन०टी०पी०सी० के द्वारा उपरोक्त कार्यवाही के साथ भारत सरकार के पत्र दिनांक- 23.08.1991 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की पूर्ण विन्दुवार अनुपालन आख्या भी प्रस्तुत की जायेगी ।

8- भारत सरकार के पत्र दिनांक- 06.12.2017 में दिये गये निर्देश के क्रम में एन०टी०पी०सी० को निर्देशित किया गया कि वन सलाहकार समिति के निर्णय के अनुपालन में एश डाईक को छोड़ गये खनन क्षेत्रों में डमप करने से हेयी मेटल के रिहन्द जलाशय में लीच करने की सम्भावना पर एक अध्ययन National Economic and Environmental Research Institute, Nagpur से तत्काल कराते हुये उनकी रिपोर्ट इस कार्यालय के माध्यम से भारत सरकार , नई दिल्ली को उपलब्ध कराया जायेगा ।

इस प्रकार प्रश्नगत प्रकरण के निस्तारण हेतु दिनांक- 16.11.2017 को एफ०ए०सी० की बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज ,जोर बाग रोड, नई दिल्ली के पत्र संख्या-8-412 / 1989- एफ०सी०(पी०टी०) दिनांक- 06.12.2017 तथा मुख्य वन संस्कर/ नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में रिहन्द सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, रिहन्दनगर-बीजपुर, जिला-सोनभद्र के वन भूमि हस्तान्तरण के संबंध में दिनांक- 14.12.2017 को सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवृत्त संबंधी पत्रांक-1807 / 11-सी-बैठक दिनांक- 12 / 14.12.2017 द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में 744.00 हेठो वन भूमि में समिलित 188.241 हेठो धारा-20 से विज्ञापित वन भूमि जिसका उपयोग एन०टी०पी०सी० द्वारा ऐश डाईक के लिए किया जाना था उसे रिहन्द जलाशय के 500 मीटर अन्दर होने के कारण उसका उपयोग न करते हुए उसे वन विभाग को वापस किया गया तथा अवशेष (744-188.241) 555.759 हेठो धारा-4 में विज्ञापित वन भूमि जिसका उपयोग एन०टी०पी०सी० द्वारा करते हुए उसके नियमितीकरण किये जाने हेतु भारत सरकार के परिवेश पोर्टल पर ऑन लाइन प्रस्तुत किया गया है जो वर्तमान में भारत सरकार के सतर पर विचाराधीन है ।

S.No.	Question
(ii)	State Government shall submit the justification for completion of work before the Stage-II approval along with reasons for non-submission of compliance of Stage-I approval prior to completion of work.

विन्दु संख्या- (ii) के अनुपालन में अवगत कराना है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक- 14.12.1988 के अनुपालन में एन.टी.पी.सी. को वांछित वन भूमि उपलब्ध करायी गयी जिस पर एन.टी.पी.सी.द्वारा प्लान्ट की स्थापना की गयी । विस्तृत विवरण / उत्तर उक्त विन्दु संख्या- (i) के अनुसार ही है ।

S.No.	Question
(iii)	Action taken by State Government against violation shall be intimated.

विन्दु संख्या- (iii) के अनुपालन में उत्तर उक्त विन्दु संख्या- (i) के अनुसार ही है ।

S.No.	Question
(iv)	Status of compliance of conditions of stage-I approval dated 23.08.1991 shall be provided along with details whether payment of Compensatory levies has been made by User Agency or not.

विन्दु संख्या- (iv) के अनुपालन में उत्तर उक्त विन्दु संख्या- (i) के अनुसार ही है ।

Forest Act and they are covered by the present survey and record operations under the supervision of the Commissioners appointed by the Court.

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक— 08.02.1989 की छाया प्रति असिस्टेंट रजिस्टरार माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने पत्र सं. शी.ओ. 1061 / 82 / एस.ई.सी.—XV नई दिल्ली दिनांक— 13.02.1989 (संलग्नक—9) द्वारा ज्यूडिशियल 'ए' राधिय च.प्र. शारान लखनऊ व श्री आर. पी.पाण्डेय कमिशनर 32/2 रहेन्टली रोड इलाहाबाद को प्रेषित की गयी। उक्त के कम में संयुक्त सचिव उ.प्र. शारान ने अपने पत्र रांख्या— 1496/14-3-975/83 लखनऊ दिनांक— 17.03.1989 (संलग्नक—10) द्वारा वन राक्षक, वन उपयोग वृत्त एवं नोडल अधिकारी उ.प्र. लखनऊ को आदेश की प्रति संलग्न करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अवगत कराया गया तथा पत्र की प्रतिलिपि अन्य के साथ ही साथ प्रभाग को भी पृष्ठांकित की गयी।

3. भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पर्यावरण भवन सी.जी.ओ.काम्पलेक्स लोदी रोड नई दिल्ली द्वारा जारी उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश जारी होने से पूर्व से ही माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष वनवासी सेवा आश्रम द्वारा दाखिल याचिका संख्या— 1061 / 1982 में पारित नुस्खा आदेश दिनांक— 20. 11.1986 के अनुपालन में वन बन्दोबस्त की कार्यवाही उक्तानुसार सम्पादित हुयी थी। इस कार्यवाही के दौरान उक्त 744 हे. वन भूमि मे समिलित धारा—4 मे विज्ञापित वन भूमि 555.759 हे. मे से 463.492 हे. धारा—4 की वन भूमि ग्रामीण आदि के पक्ष में ए.टी.पी.सी. न्यायालय द्वारा निर्णित कर दिये गये। इस प्रकार निर्णय के पश्चात एन.टी.पी.सी. के पक्ष मे हस्तान्तरण हेतु निम्न प्रकार वन भूमि का ग्रामवार क्षेत्रफल शेष रह गयी।

क्र. सं.	ग्राम का नाम	धारा—4 की वन भूमि का क्षेत्रफल एकड़ में	धारा—20 की वन भूमि का क्षेत्रफल एकड़ में
1	बीजपुर	92.800	-
2	नकटू अधौरा	12.250	-
3	डोडहर	15.099	-
4	सिरसोती	1.490	-
5	खेरी	32.566	-
6	मिटिहिनी	5.740	68.560
7	खम्हरिया	22.58	32.125
8	झीलो	50.089	364.58
	योग—	233.414 Acr	465.265 Acr

कुल रकवा 233.414 + 465.265 = 698.679 एकड़ या 280,508 हे.

उक्त के संबंध में प्रभाग द्वारा वन संरक्षक वाराणसी वृत्त वाराणसी के माध्यम से उच्च स्तर पर अवगत कराये जाने पर नोडल अधिकारी/वन संरक्षक, वन उपयोग वृत्त उ.प्र. लखनऊ ने अपने पत्र संख्या— 975/11 सी—10(120) दिनांक— 08.02.1996 (संलग्नक—11) द्वारा 698.679 एकड़ (280.508 हे.) वन भूमि के संबंध में समतुल्य गैर वन भूमि एवं घनशस्त्री आदि की मॉग करने के निर्देश दिये गये तथा अपने पत्र संख्या— 1026/11 सी—10(120) दिनांक— 15.02.1996 (संलग्नक—12) द्वारा सहायक वन महानिरीक्षक(वन संरक्षण) भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय एफ.सी.डिवीजन पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड नई दिल्ली—11003 को पत्र प्रेषित करते हुए 280,508 हे. वन भूमि हस्तान्तरण के संबंध में रांशोधित आदेश जारी करने हेतु अनुरोध किया गया। इस प्रकार सैद्धान्तिक स्वीकृति में प्रस्तावित वन भूमि के रक्षे में परिवर्तन के संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय,

भारत सरकार ने वर्ष 1996 में ही अवगत वन सिंगा पर्याय विस्तृत रूप से भारत सरकार के द्वारा यह अन्यथा विदेश पापा नहीं हुये।

नोडल अधिकारी/वन संरक्षक, वन उपयोग वृत्त उ.प्र. लखनऊ के उक्त आदेश दिनांक—08.02.1996 / 15.02.1996 के अनुपालन में एन.टी.पी.सी.द्वारा रामतुल्य गैर वन भूमि (280.508 हे.) पर क्षतिपूरक बनीकरण हेतु रु. 4969500.00 वन धेक संख्या—2624055 दिनांक—09.10.1997 रेनकूट वन प्रभाग में उपलब्ध करायी गयी विन्तु रामतुल्य गैर वन भूमि वन विभाग को उपलब्ध नहीं करायी गयी। समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रभाग स्तर से विभिन्न पत्रों द्वारा एन.टी.पी.सी. को अवगत कराया जाता रहा।

प्रभाग द्वारा समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु किये गये मौंग पत्र के क्रम में एन.टी.पी.सी.द्वारा प्रभाग को यह जानकारी दी गयी कि वन महानिरीक्षक एवं विशेष सचिव भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक—10.04.1997 (संलग्नक—13) द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि, "भारत सरकार केन्द्रीय सेक्टर की परियोजनाओं में जो क्षतिपूरक बनीकरण होना है वह दुग्ने अवनत वन भूमि पर होना है"।

भारत सरकार के उक्त आदेश दिनांक—10.04.1997 के क्रम में एन.टी.पी.सी. से 280.508 हे. वन भूमि के दुग्ने अवनत वन भूमि 561.00 हे. पर क्षतिपूरक बनीकरण करने हेतु पूर्व में जमा किये गये 49,69,500/- की धनराशि के अतिरिक्त अवशेष धनराशि रु. 32738115.00 की मौंग की गयी। प्रभाग द्वारा एन.टी.पी.सी.0 को प्रेषित मौंग पत्र के अनुसार एन.टी.पी.सी.ने बैंक ड्राफ्ट संख्या—230768 दिनांक—18.02.2011 द्वारा अवशेष धनराशि रु. 00 32738115.00 रेनकूट वन प्रभाग में उपलब्ध कराया गया जिसे मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ.प्र. लखनऊ के माध्यम से कैम्पा निधि में जमा कराया गया है।

उक्त के अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में उच्च स्तर से प्राप्त निर्देश के क्रम में प्रभाग रत्तर से एन.टी.पी.सी. को पत्र प्रेषित करते हुए 280.508 हे. वन भूमि का 9.20 लाख प्रति है, की दर से रु. 258067360.00 (पचीस करोड़ अस्सी लाख सरसठ हजार तीन सौ साठ मात्र) की धनराशि जमा करने हेतु अनुरोध किया गया। उक्त के क्रम में एन.टी.पी.सी. द्वारा वांछित धनराशि रु. 258067360.00 का बैंक ड्राफ्ट संख्या—994461 दिनांक—10.07.2010 द्वारा Compensatory Afforestation Fund(CAF) Uttar Pradesh A/C N0- CA 1574 Corporation Bank New Delhi के नाम से बना हुए बैंक ड्राफ्ट प्रभाग में उपलब्ध कराया गया जिसे कैम्पा निधि में जमा कराया गया है। इस प्रकार भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश एवं उच्च स्तर से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में उपरोक्तानुसार अनुपालन किया गया है।

4. प्रश्नगत प्रकरण के निस्तारण हेतु दिनांक—16.11.2017 को एफ०ए०सी० की बैठक आयोजित की गयी। एफ०ए०सी० की बैठक के क्रम में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्द्रिय पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली के पत्र संख्या—8-412/1989—एफ०सी०(पी०टी०) दिनांक—06.12.2017(संलग्नक—14) जारी करते हुए आवश्यक निर्देश जारी किया गया। उक्त निर्देश के क्रम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में रिहन्द सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, रिहन्दनगर—बीजपुर, जिला—सोनभद्र के वन भूमि हस्तान्तरण के संबंध में दिनांक—14.12.2017 को बैठक सम्बन्धी की गयी जिसके कार्यवृत्त संबंधी पत्रांक—1607/11-सी-बैठक दिनांक—12/14.12.2017 (संलग्नक—15) जारी किया गया। उक्त कार्यवृत्त का विवरण निम्नानुसार है—

(1) भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनांक—23.08.1991 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त 744 हे० वन भूमि में से एन.टी.पी.सी० द्वारा उपयोग में लाई जा रही है वन भूमि का मौके पर चिन्हांकन करते हुये कुल वास्तविक संशोधित वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के नवीन दिशा निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन प्रस्ताव एन.टी.पी.सी० द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा, जिसमें वर्तमान दिशा—निर्देशों के अनुसार उक्त वन भूमि का जियो स्फिरेस लिजिटल मैप, के०एम०एल० फाईल की सी०डी० एवं एस०ओ०आई० टोपोशीट आदि सहित पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

2—एन.टी.पी.सी० द्वारा उपरोक्तानुसार उपयोग में लाई जा रही संशोधित वन भूमि का लैंड यूज डिफिनी दिया जायेगा।

3—एन.टी.पी.सी० द्वारा उपयोग में लाई जा रही संशोधित वन भूमि के अतिरिक्त उपयोग में ना लाई जा रही वन भूमि को वन विभाग के पक्ष में वापस करनी होगी, जिस हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक और

विभागाध्यक्ष, उ०प्र० लखनऊ के दिशा-निर्देशों के अनुसार मुख्य वन संरक्षक, भीरजापुर क्षेत्र, भीरजापुर द्वारा हस्तान्तरण की कार्यवाही सम्पन्न करायी जायेगी ।

4- एन०टी०पी०सी० द्वारा प्रस्तुत विये जाने वाले संशोधित प्रस्ताव में शुद्ध वर्तमान मूल्य को पूर्व में जमा की गई शुद्ध वर्तमान मूल्य की धनराशि से समायोजित किया जायेगा ।

5- संशोधित वन भूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव में भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार क्षतिपूर्ति हेतु दूगने अवतान वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की 10 वर्षों के अनुरक्षण सहित आवश्यक धनराशि वर्तमान संशोधित दर के अनुसार मॉग की जायेगी , जिसमें एन०टी०पी०सी० द्वारा पूर्द में जमा की गई क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि को समायोजित किया जायेगा ।

6- एन०टी०पी०सी० द्वारा संशोधित वार्ताविक क्षेत्रफल के अनुसार प्रस्तुत प्रस्ताव का सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा ।

7- एन०टी०पी०सी० के द्वारा उपरोक्त कार्यवाही के साथ भारत सरकार के पत्र दिनांक- 23.08.1991 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की पूर्ण विन्दुवार अनुपालन आख्या भी प्रस्तुत की जायेगी ।

8- भारत सरकार के पत्र दिनांक- 06.12.2017 में दिये गये निर्देश के क्रम में एन०टी०पी०सी० को निर्देशित किया गया कि वन सलाहकार समिति के निर्णय के अनुपालन में ऐश डाईक को छोड़े गये खनन क्षेत्रों में डमप करने से हेवी मेटल के रिहन्द जलाशय में लीच करने की सम्मावना पर एक अध्ययन National Economic and Environmental Research Institute, Nagpur से तत्काल कराते हुये उनकी रिपोर्ट इस कार्यालय के माध्यम से भारत सरकार , नई दिल्ली को उपलब्ध कराया जायेगा ।

इस प्रकार प्रश्नगत प्रकरण के निरस्तारण हेतु दिनांक- 16.11.2017 को एफ०ए०सी० की बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज ,जोर बाग रोड, नई दिल्ली के पत्र संख्या-४-४१२/ 1989- एफ०सी०(पी०टी०) दिनांक- 06.12.2017 तथा मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में रिहन्द सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, रिहन्दनगर-बीजपुर, जिला-सोनमढ़ के वन भूमि हस्तान्तरण के संबंध में दिनांक- 14.12.2017 को सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवृत्त संबंधी पत्रांक-1607 / 11-सी-बैठक दिनांक- 12 / 14.12.2017 द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में 744.00 हे० वन भूमि में समिलित 188.241 हे० धारा-20 मे विज्ञापित वन भूमि जिसका उपयोग एन०टी०पी०सी० द्वारा ऐश डाईक के लिए किया जाना था उसे रिहन्द जलाशय के 500 मीटर अन्दर होने के कारण उसका उपयोग न करते हुए उसे वन विभाग को दापस किया गया तथा अवशेष (744-188.241) 555.759 हे० धारा-4 मे विज्ञापित वन भूमि जिसका उपयोग एन०टी०पी०सी० द्वारा करते हुए उसके नियमितीकरण किये जाने हेतु भारत सरकार के परिवेश पोर्टल पर ऑन लाइन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है जो वर्तमान मे भारत सरकार के सतर पर विचाराधीन है ।

S.No.	Question
(ii)	State Government shall submit the justification for completion of work before the Stage-II approval along with reasons for non-submission of compliance of Stage-I approval prior to completion of work.

विन्दु संख्या- (ii) के अनुपालन मे अवगत कराना है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक- 14.12.1988 के अनुपालन में एन.टी.पी.सी. को वांछित वन भूमि उपलब्ध करायी गयी जिस पर एन.टी.पी.सी.द्वारा प्लान्ट की स्थापना की गयी । विस्तृत विवरण / उत्तर उक्त विन्दु संख्या- (i) के अनुसार ही है ।

S.No.	Question
(iii)	Action taken by State Government against violation shall be intimated.

विन्दु संख्या- (iii) के अनुपालन मे उत्तर उक्त विन्दु संख्या- (i) के अनुसार ही है ।

S.No.	Question
(iv)	Status of compliance of conditions of stage-I approval dated 23.08.1991 shall be provided along with details whether payment of Compensatory levies has been made by User Agency or not.

विन्दु संख्या- (iv) के अनुपालन मे उत्तर उक्त विन्दु संख्या- (i) के अनुसार ही है ।

S.No.	Question
[v]	Justification for delay submission of compliance report till the matter was considered by FAC in 2017 add reasons for delay in compliance between 2017 to 2024, shall be submitted
	विन्दु संख्या- (v) के अनुपालन में वर्ष 2017 से 2024 तक हुए अपलोड के संबंध में विवरण निम्न प्रकार हैं -
1-	दिनांक- 16.11.2017 में एफएसी के निर्णय एवं भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र संख्या 8-412/1989 एफएसी० (पी०टी०) दिनांक 14.12.2017 के क्रम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की अधिकारी में रिहन्द सुपर शर्मल पानव बैठक रिहन्द वीजपुर, जिला रोनगढ़ के वन भूमि हरतान्तरण के सम्बन्ध में दिनांक 14.12.2017 को बैठक आयोजित की गयी जिसमें एन.टी.पी.सी. के रत्नर रो 08 विन्दुओं पर सूचना/अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। 08 विन्दुओं पर सूचना/अभिलेख तैयार करते हुए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दिनांक 03.11.2018 को ऑन लाइन प्रस्ताव अपलोड किया गया।
2-	दिनांक 14.11.2018 को कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्रांक संख्या- 997 / 11-सी-FP/UP/The/36097/2018, लखनऊ दिनांक 13.11.2018 द्वारा ईडीएस भेजा गया जिसके अनुपालन में दिनांक 03.03.2020 को उल्लिखित विन्दुओं का अनुपालन करते हुए ऑन लाइन प्रस्ताव पोर्टल पर अपलोड किया गया।
3-	दिनांक 13.03.2020 को कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा (FP/UP /THE/36097/2018-EDS raised on 12-03-2020) 20 आपत्तियों के साथ भेजा गया। जिसके अनुपालन में दिनांक 12.03.2021 को उल्लिखित 20 विन्दुओं का अनुपालन करते हुए प्रस्ताव ऑन लाइन पोर्टल पर अपलोड किया गया।
4-	दिनांक 26.03.2021 को कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा (FP/UP /THE/36097/2018-EDS raised on 26-03-2021) 07 आपत्तियों के साथ भेजा गया। जिसके अनुपालन में दिनांक 04.01.2022 को उल्लिखित 07 विन्दुओं का अनुपालन करते हुए प्रस्ताव ऑन लाइन पोर्टल पर अपलोड किया गया।
5-	दिनांक 18.02.2022 को कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा FP/UP /THE/36097/2018-EDS raised on 18-02-2022 भेजा गया जिसमें विषयांकित प्रकरण में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भरत सरकार, नई दिल्ली में आहूत एफएसी की बैठक दिनांक 16.11.2017 की कार्यवृत्त में उल्लिखित विन्दुओं के क्रम में भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक दिनांक 8/142/1989-एफ.सी.पी.सी., दिनांक 06.12.2017 द्वारा दिए गये निर्देश एवं इसी क्रम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा सम्बन्धित पक्षों के साथ दिनांक 06.12.2017 को हुई बैठक, जिसका कार्यवृत्त के पत्रांक 1607/11-सी-बैठक, दिनांक 14.12.2017 द्वारा पूर्व में जारी किया गया है। उक्त कार्यवृत्त में दिए गए निर्देशानुसार कृत कार्यवाही की विन्दुवार अनुपालन आख्या अभिलेखों सहित चाही गयी। उक्त कार्यवृत्त का अनुपालन आख्या अभिलेखों सहित दिनांक 05.04.2022 को अपलोड किया गया।
6-	दिनांक 27.04.2022 को कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा पत्रांक 3052/11-सी, लखनऊ दिनांक 27.04.2022 भेजा गया जिसमें अब तक कृत कार्यवाही का विवरण सुसंगत अभिलेखों सहित प्रेषित करने का आदेश किया गया। उक्त के क्रम में समर्त सुसंगत अभिलेखों को विन्दुवार कृत कार्यवाही का विवरण दिनांक- 19.05.2022 को पोर्टल पर अपलोड किया गया था।
7-	दिनांक 01.10.2022 को प्रस्ताव से सम्बन्धित समर्त दस्तावेज़ की हार्ड कॉपी 06 प्रतियों में प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट तें प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा जमा किया गया। जिसे समर्त अभिलेखों सहित दिनांक 12.10.2022 को पोर्टल पर अपलोड किया गया, तत्पश्चात् भाग-2 की कार्यवाही पूर्ण करते हुए

दिनांक 25 दशहरा द्वारा दिनांक 17.11.2022 को संचय अधिकारी द्वारा पॉर्टल पर अपलोड किया गया।

८- दस्तावेज में दुर्लभ दन संख्या / नोडल अधिकारी द्वारा पूरा दिनांक 30.12.2022 द्वारा 16 दिनांकों पर उत्पन्न हो चाही रखी रिसका निराकरण करते हुए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दिनांक 28.02.2023 को प्रस्तुत किया गया।

९- दैनंदिन 06.04.2023 को वन एवं जलवाया वन संख्या / नोडल अधिकारी, प्रभावित, वन एवं जलवाया वरिष्ठमं विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा पत्रांक 3179/11-सी, लखनऊ दिनांक 03.04.2023 जारी किया गया। रिसका निराकरण करते हुए दिनांक- 23.06.2023 को प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पोर्टल पर अपलोड किया गया।

१०- अटोडह मुख्य दन संख्या, निलौपुर थोड़, निलौपुर के पत्रांक 649/मी030/33/मिजापुर, दिनांक 16.06.2023 द्वारा दिनांक 23.06.2023 को इश्वीरस मेलकर जानकारी चाही गयी। उक्त प्रकरण का निराकरण करते हुए दिनांक 12.09.2023 को शोर्टल पर अपलोड किया गया।

११- दस्तावेज में दुर्लभ दन संख्या के अनुसार निलौपुर थोड़, निलौपुर के पत्रांक 649/मी030/33/मिजापुर, दिनांक 16.06.2023 द्वारा उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा पत्रांक 3179/11-सी, लखनऊ दिनांक 03.04.2023 जारी किया गया। उक्त प्रकरण का निराकरण करते हुए दिनांक 23.06.2023 को प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पोर्टल पर अपलोड किया गया।

S.No.	Question
(vi)	State Government shall submit the detailed chronology including the date of submission of proposal, date when execution of work is started and date when work was completed.

दिनांक- (vi) के अनुसार ने उत्तर उक्त दिनांक संख्या- (i) के अनुसार ही है।

S.No.	Question
(vii)	State Government shall submit the detailed chronology including date when notification under Section-4 was issued, completion of settlement proceeding and date of final notification under Section- 20 along with legal status and ownership details of the area proposed for diversion.

दिनांक- (vii) के अनुसार ने उत्तर उक्त दिनांक संख्या- (i) के अनुसार ही है।

S.No.	Question
(viii)	State shall inform the date when land was allotted to NTPC/User Agency for execution of work by the State along with the conditions of allotment.

दिनांक- (viii) के अनुसार ने उत्तर उक्त दिनांक संख्या- (i) के अनुसार ही है।

S.No.	Question
(ix)	State shall submit the legal status of the land in case of which forest diversion proposal of 146.31 ha of forest land for construction of ash dyke was submitted. It shall also be informed whether proposal for regularisation of 555.79 ha also includes the said 146.31 ha of forest land or not? The State shall also inform whether any work in violation has been carried out in case of said Ash Dyke or otherwise along with the timeline for the same.

दिनांक- (ix) के अनुसार ने अवगत करना है प्रश्नगत परियोजना में प्रभावित 555.79 हेक्टेक्टर वन भूमि में 146.31 हेक्टेक्टर वन भूमि सम्मिलित नहीं है। 146.31 हेक्टेक्टर वन भूमि में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कोई व्यावरणीय नहीं किया गया है।

S.No.	Question
(x)	Initially, Ministry vide its letter No.8-412/89-FC dated 23.08.1991 has accorded in-principle/ Stage-1 approval of 744.00 ha forest land. Now, the proposal is submitted for regularization of 555.79 ha. In this regard, State Government shall submit the area change matrix giving

comparative analysis of different components As Stage-1 approval dated 23.08.1991 and that of fresh diversion proposal of 555.79 ha which has been submitted now.

बिन्दु संख्या- (x) के अनुपालन में उत्तर उक्त बिन्दु संख्या- (i) के अनुसार ही है ।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

(डा० भानेन्द्र सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी

रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट

२३६७

संख्या— अ/सम दिनांकित ।

प्रतिलिपि : उप महाप्रबन्धक(मा०सं०) एन०टी०पी०सी० रिहन्द सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, रिहन्दनगर, बीजपुर जिला-सोनभद्र को उनके पत्र दिनांक-04.01.2025 के क्रम में सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि आप स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उक्त प्रस्ताव के स्वीकृति के संबंध में उच्च स्तर पर समर्क स्थापित करते हुए अग्रल्ल कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

(डा० भानेन्द्र सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी

रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट



रिहंद / Rihand

रेफर संख्या /Ref No: मा०सं०/2025

दिनांक / Date: 04.01.2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
 रेनुकूट वन प्रभाग ,  
 रेनुकूट-सोनमढ़ ।

विषय:- Regularization of 555.759 ha of diverted forest land for the construction of Rihand Super Thermal Power Project under Renukoot Forest Division in Sonebhabra District of Uttar Pradesh (Online Proposal No.FP/UP/THERMAL/36097/2018)

संदर्भ:-  
 1-भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अग्नि विंग इन्डिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग, अलीगंज नई दिल्ली का पत्रांक- 8-412/1989-एफ०सी०(वालूम - 111) दिनांक- 02.08.2024  
 2-मुख्य वन संरक्षक/नौडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्रांक-329/11-सी FP/UP/THERMAL/36097/2018 लखनऊ दिनांक-02.08.2024  
 3-मुख्य वन संरक्षक, भीरजापुर थेन्ड्र, भीरजापुर का पत्रांक- 2135/मी०सी०/33 भीरजापुर दिनांक- 19.11.2024  
 4-आपका पत्रांक- 1727/रेनुकूट/15-6 दिनांक- 22.11.2024

महोदय,

विषयक प्रकरण संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक- 02.08.2024 द्वारा माँगी गयी विन्दुवार वाचित संशोधित सूचना निम्नानुसार अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

S.No.	Question
(i)	The proposal for diversion of 744.00 ha forest land has been given Stage-1 by the Ministry vide letter dated 23.08.1991. Instead of submitting the compliance of Stage-1 as directed by Forest Advisory Committee in its meeting dated 16.11.2007, the State Government has submitted the new proposal for regularisation of 555.759 Ha. The State Government shall submit the justification for the same.

उक्त विन्दु संख्या-1 के अनुपालन मे निम्न प्रकार अवगत कराना है :-

रिहंद सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, पा०ज-रिहंदनगर, जिला-सोनमढ़ (उ.प) पिन- 231 223 टेली / Tel 05446-242021

Rihand Super Thermal Power Project PO- Rihand Nagar, Distl. Sonebhadra (U.P) 231 223 Fax 05446-242115

प्रिकृत ऊर्ध्वालय एनटीपीसी भवन, राष्ट्रीय काम्पलेक्स, 7 इन्स्टीट्यूशनल एरिया, सोनी गांड, नई दिल्ली-110003

Regd Office: NTPC Bhawan Scope Complex, 7 Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi-110 003

**रिहंद / Rihand**

1. जनपद-सोनगढ़ के रेनुकूट वन प्रभाग अन्तर्गत एनटीपीसी रिहन्दनगर-बीजपुर के जनरल मैनेजर ने अपने पत्र संख्या- 070/पी.एण्ड.ए.एन.ए. दिनांक- 03.07.1989 (संलग्नक-1) द्वारा 2351.453 एकड़ (951.60 हे.) वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया जिसका ग्रामवार क्षेत्रफल निम्न प्रकार है।

क्र. सं.	ग्राम का नाम	धारा-4 की वन भूमि का क्षेत्रफल एकड़ में	धारा-20 की वन भूमि का क्षेत्रफल एकड़ में
1	बीजपुर	634.23	-
2	नकटू अधीसा	33.910	-
3	डोडहर	157.690	-
4	सिरसोती	32.598	-
5	खैरी	74.410	-
6	जरहा	139.53	-
7	मिटिहिनी	69.59	68.56
8	खम्हरिया	116.50	32.125
9	झीलो	254.25	738.06
	योग-	1512.708 Acr	838.745 Acr

कुल रकवा  $1512.708 + 838.745 = 2351.453$  एकड़ या 951.60 हे.

उक्त प्रस्ताव को उच्च स्तर के माध्यम से भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पर्यावरण भवन सी. जी.ओ.कम्पलेक्स लोदी रोड नई दिल्ली की सेवा में प्रेषित किया गया। इस संबंध में भारत सरकार के स्तर पर सलाहकार समिति की बैठक दिनांक- 24.07.1990 को आयोजित की गयी। उक्त बैठक में लिये गये निर्णय के पश्चात प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षणोपरान्त भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. कम्पलेक्स लोदी रोड नई दिल्ली ने अपने आदेश संख्या- 8-412/89- एफ.सी. दिनांक-23.08.1991 (संलग्नक-2) द्वारा 951.60 हे. में से (744.00 हे.) वन भूमि हस्तान्तरण करने हेतु 2(दो) शतों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश जारी किया गया जिसका दोनों शर्त संख्या एवं ग्रामवार क्षेत्रफल निम्न प्रकार है।

**(a)** The State Govt. should identify 744 ha. Of non-forest land immediately with comprehensive compensatory afforestation scheme and map. State Govt. should also take action for transfer of 744 ha. Of non- forest land in favour of Forest Deptt. To be followed up with notification declaring the same is protected forest.

रिहन्द सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, पो.आ.-रिहन्दनगर, जिला-सोनगढ़ (उ.प्र.) पिन : 231 223 टेली / Tel: 05446-242021

Rihand Super Thermal Power Project P.O. Rihand Nagar, Distt.: Sonebhadra (U.P.) 231 223 Fax 05446-242115

प्राजिकृत कार्यालय: एनटीपीसी भवन, रकोप काम्पलेक्स, 7इन्टरीट्रूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

Regd. Office: NTPC Bhawan, Scope Complex, 7 Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi-110 003

**रिहंद / Rihand**

**(b)** The User agency will have to transfer the cost of compensatory afforestation in favour of Forest Deptt.

क्र. सं.	ग्राम का नाम	धारा-4 की वन भूमि का क्षेत्रफल एकड़ में	धारा-20 की वन भूमि का क्षेत्रफल एकड़ में
1	बीजपुर	634.23	-
2	नकटू अंधौरा	33.910	-
3	डोडहर	157.690	-
4	सिरसोली	32.598	-
5	खेरी	74.410	-
6	मिटिहिनी	69.59	68.56
7	खम्हरिया	116.50	32.125
8	झीलो	254.25	364.58
	योग-	1373.178 Acr	465.265 Acr

कुल रकमा 1373.178 + 465.265 = 1838.443 एकड़ या 744.00 हे,

मारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पर्यावरण भवन री.जी.ओ.कम्पलेक्स लोदी रोड नई दिल्ली द्वारा जारी उक्त सैद्धान्तिक स्थीरूपी आदेश के अनुपालन में एनटीपीसी द्वारा कुल 1373.178 + 465.265 = 1838.443 एकड़ (744.00 हे.) समतुल्य गैर वन भूमि एवं इस पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराष्ट्रीय वन विभाग को उपलब्ध कराया जाना था।

2. कैमूर के दक्षिण में निवास कर रहे आदिवासी ग्रामीणों एवं भूमिहीनों कृषकों द्वारा खेती के उपयोग में लाई जा रही अतिक्रमित एवं वर्ग-4 के रूप में दर्ज वन भूमि पर गोमिक अधिकार प्रदान किये जाने आदि के संबंध में एक रखयं सेवी संस्थान वनवासी सेवा आश्रम द्वारा (एनटीपीसी) द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतिकरण की तिथि से पूर्व ) माननीय उच्चतम न्यायालय के रागका याचिका संख्या-1061/1982 दाखिल किया गया। उक्त रिट याचिका में एनटीपीसी द्वारा भी पक्षकार बनते हुए प्लान्ट आदि के निर्माण में आने वाली समस्याओं के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय को अवगत कराया गया। उक्त पर विचार करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक-20.11.86 (संलग्नक-3) को आदेश पारित करते हुए यह निर्देशित किया गया कि एनटीपीसी से प्रभावित ग्रामों पर किसानों आदि के कब्जे आदि का सत्यापन एक कमिशनर की नियुक्ति

रिहंद सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, पा.आ-रिहंदनगर, जिला-सोनेहद्रा (उ.प.) पिन. 231 223 टेली / Tel: 05446-242021

Rihand Super Thermal Power Project P.O. Rihand Nagar Distt. Sonebhadra (U.P.) 231 223 Fax 05446-242115

पंजिकृत कार्यालय एनटीपीसी भवन, स्कोप कार्पोरेशन, 7 इन्टरट्रूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

Regd Office NTPC Bhawan, Scope Complex, 7 Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi-110 003

**रिहंद / Rihand**

करते हुए एनटीपीसी, रिहंद को आवश्यक धारा-4 की बन भूमि का कब्जा दे दिया जाय। माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक- 20.11.86 का गुरुवा अंश निम्न प्रकार है :-

The land sought to be acquired for the Rihand Super Thermal Power Project of the NTPC shall be freed from the ban of dispossession. Such land is said to be about 153 acres for Ash Pipeline and 1643 acres for Ash Dyke and are located in the villages of Khamhariya, Mitihini, Parbatwa, Jheelotola, Dodhar and Jarha. Possession thereof may be taken after complying with the provisions of the Land Acquisition Act, but such possession should be taken in the presence of one of the Commissioners who are being appointed by this order and a detailed record of the nature and extent of the land, the same of the person who is being dispossessed and the nature of enjoyment of the land and all other relevant particulars should be kept for appropriate use in future. Such records shall be duly certified by the Commissioner in whose presence possession is taken and the same should be available for use in all proceedings that may be taken subsequently.

The NTPC has agreed before the Court that it shall strictly follow the policy on "facilities to be given to land oustees" as placed before the court in the matter of lands which are subjected to acquisition for its purpose. The same be taken as an undertaking to the court.

उक्त आदेश के अनुपालन में श्री राम प्रकाश पाण्डेय कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट आफ इण्डिया की नियुक्ति की गयी। श्री राम प्रकाश पाण्डेय कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट आफ इण्डिया द्वारा विभिन्न ग्रामों में एनटीपीसी के स्तर से वांछित धारा-4 की भूमि पर किसानों आदि के कब्जे का सत्यापन करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक- 14.12.1988 (संलग्नक-4) के अनुपालन में एनटीपीसी को वांछित बन भूमि उपलब्ध करायी गयी जिस पर एनटीपीसी द्वारा स्थान्त की स्थापना की गयी। उपरोक्तानुसार उपलब्ध करायी गयी बन भूमि में किसानों आदि के कब्जे की भूमि का ग्रामवार विवरण निम्नवत है :-

क्र. सं.	ग्राम का नाम	भा.व.अ.1927 की धारा-4 के अन्तर्गत विज्ञापित भूमि एकड़ में	सदस्य बोर्ड आफ कमिश्नर द्वारा उपलब्ध करायी गयी धारा-4 की भूमि शेत्रफल एकड़ में	सदस्य बोर्ड आफ कमिश्नर द्वारा भूमि उपलब्ध कराने की तिथि
1	बीजपुर	634.23	541.430	18.06.89
2	डोडहर	157.69	141.621	24.01.89
3	सिरसोती	32.598	31.108	17.02.89
4	खेंरी	74.41	41.844	12.03.88

रिहंद सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, पा.आ.-रिहंदनगर, जिला-सोनभद्र (उ.प.) पिन : 231 223 टेली / Tel: 05446-242021

Rihand Super Thermal Power Project P.O. Rihand Nagar, Distt. Sonebhadra (U.P) 231 223 Fax: 05446-242115

प्रतिकृत कार्यालय एनटीपीसी भवन, रकांप काम्पलेक्स, 7 इन्स्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

Regd. Office: NTPC Bhawan, Scope Complex, 7 Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi-110 003

**रिहंद / Rihand**

5	शिरहिनी	69.59	62.649	06.02.88
6	नक्कू आठौरा	33.91	16.970	29.08.89
	गोग:-	405.66822 एकड़ या 338.16423 है.	835.622 एकड़	

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक— 14.12.1988 का मुख्य अंश निम्न प्रकार है :-

— Mr Pandey, one of the Commissioners, is directed to visit the locality where the lands required for NTPC are located and to take immediate steps to ensure that the acquired land is released in favour of the Corporation within two weeks from today. Care should be taken to ensure that the interests of the residents within the area are not affected. Once this process is done, NTPC would be free to proceed with its work and there would be no prohibition against the NTPC in regard to the acquired lands.

प्लान्ट की स्थापना के दौरान तत्कालीन प्रभागीय बनाधिकारी रेनुकूट द्वारा वन भूमि पर किये जा रहे निर्माण कार्य पर आपत्ति भी की गयी किन्तु श्री राम प्रकाश पाण्डेय कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नाराजगी प्रकट करते हुए अपने पत्र दिनांक— 16.09.1989 (संलग्नक-5) द्वारा वन संरक्षक वाराणसी वृत्त को पत्र प्रेषित करते हुए तत्कालीन प्रभागीय बनाधिकारी को भी यह अवगत कराया गया कि निर्माण कार्य पर आपत्ति करना माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक—20.11.1986 एवं 08.02.1989 का उल्लंघन होगा। श्री राम प्रकाश पाण्डेय कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट के पत्र दिनांक— 16.09.1989 का मुख्य अंश निम्न प्रकार है :-

... In this connection I would like to mention that verification and transfer of occupancies has already taken place in compliance of the order of the Hon'ble Supreme Court dated 20-11-1986. Hence it would be a clear violation of the order of Hon'ble Supreme Court dated 8.2.1989 if any obstruction is caused by the Forest Department in the construction work of the NTPC Project. I would therefore suggest that necessary directions be issued to the D.F.O to refrain from obstructing projected works, otherwise serious legal consequences may follow-

उक्त कब्जा की जानकारी भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. कम्प्लेक्स लोदी रोड नई दिल्ली को होने पर उन्होने अपने पत्र संख्या— 8-412/89-एफ.सी. दिनांक— 27.09.1989 (संलग्नक-6) द्वारा सचिव वन उ.प्र. सरकार से सूचना माँगी गयी। भारत सरकार के उक्त आदेश के क्रम में विशेष कार्याधिकारी उ.प्र. शासन ने अपने पत्र संख्या—2398/14-3-975/83 लखनऊ दिनांक— 24.10.1989 (संलग्नक-7) द्वारा पर्यावरण एवं

रिहंद सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, पो.आ.-रिहंदनगर, जिला—सोनभद्रा (उ.प.) पिन : 231 223 टेली / Tel: 05446-242021

Rihand Super Thermal Power Project P.O. Rihand Nagar, Distt. Sonbhadra (U.P.) 231 223 Fax 05446-242115

परिकृत कार्यालय: एनटीपीसी भवन, रकोप काम्प्लेक्स, 7 इन्स्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

Regd. Office NTPC Bhawan, Scope Complex, 7 Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi-110 003

रिहन्द / Rihand

वन मंत्रालय भारत सरकार को अवगत कराया गया कि एनटीपीसी रिहन्दनगर - सोनभद्रा जिला - सोनभद्रा को वन भूमि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक - 14.12.1988 के अनुपालन में हस्तांत करायी गयी है।

उक्त अधिका की सुनवाई माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनः पुनः दिनांक - 08.02.89 की गयी और यह आदेशित किया गया कि वन (रांगड़ण) अधिनियम 1980 के प्राप्तिधान केवल एनटीपीसी रिहन्दनगर - बीजपुर जिला - सोनभद्रा द्वारा नाइत धारा - 20 की भूमि पर तथा अकृषिक भूमि पर ही आवृत्त होगे। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक - 08.02.1989 (संलग्नक - 8) का मुख्य अंश निम्न प्रकार है :-

—At it appears the requirement of the NTPC has now increased to 2495 acres. Out of these land 1322 acres are said to be under occupancy, 185 acres constitute Goan Sabha Lands and 987 acres are said to be forest lands. 791 acres of these lands seem to have been notified as reserved forest under section 20 of the Indian Forest Act, 1927, they are outside the purview of the writ petition as already directed by this Court. Release of such lands can only be done by satisfying the requirement of the Forest (Conservation) Act, 1980 and our order has, therefore, nothing to do with these 791 acres of land. 195 acres are said to be covered by a Notification under section 4 of the Forest Act. The balance of 942 acres seem to have been notified under section 4 of the Forest Act and they are covered by the present survey and record operations under the supervision of the Commissioners appointed by the Court.

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक - 08.02.1989 की छाया प्रति असिसेन्ट रजिस्ट्रार माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने पत्र सं. डी.ओ. 1061/82/एस.ई.सी.-XV नई दिल्ली दिनांक - 13.02.1989 (संलग्नक - 9) द्वारा ज्यूडिसियल 'ए' सचिव उ.प्र. शासन लखनऊ व श्री आर.पी.पाण्डेय कमिश्नर 32/2 स्टेनली रोड इलाहाबाद को प्रेषित की गयी। उक्त के क्रम में संयुक्त सचिव उ.प्र. शासन ने अपने पत्र संख्या - 1496/14-3-975/83 लखनऊ दिनांक - 17.03.1989 (संलग्नक - 10) द्वारा वन संरक्षक, वन उपयोग वृत्त एवं नोडल अधिकारी उ.प्र. लखनऊ को आदेश की प्रति संलग्न करते हुए आवधक कार्यवाही करने हेतु अवगत कराया गया तथा पत्र की प्रतिलिपि अन्य के साथ ही साथ प्रभाग को भी पृष्ठांकित की गयी।

3. भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. कम्पलेक्स लोदी रोड नई दिल्ली द्वारा जारी उक्त संदर्भान्तिक स्वीकृति आदेश जारी होने से पूर्व से ही माननीय उच्चतम न्यायालय के रिहन्द सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, पांडा - रिहन्दनगर, जिला - सोनभद्रा (उ.प.) पिन : 231 223 टेली / Tel: 05446-242021

Rihand Super Thermal Power Project P.O. Rihand Nagar, Distt. Sonebhadra (U.P.) 231 223 Fax: 05446-242115

प्रतिकृत कार्यालय एनटीपीसी मध्यन, स्कोप काम्पलेक्स, 7 इन्स्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003

Regd. Office, NTPC Bhawan, Scope Complex, 7 Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi-110 003

## रिहाई / रिहाई

सभ्य कार्यालयी सेवा आधार पर वार्षिक वार्षिक वार्षिक १०६१- १०६२ वे वार्षिक युवा आदेश दिनांक- २०.११.१९९८ के अनुसारन में वन कर्त्तव्यात्मा की कार्यालयी उत्तराधिकार सम्पादिता हुई थी। इस कार्यालयी के दौरान उक्त ७४४ हे. वन युवा ने समिलित धारा-५ में विक्रमिया वन युवा ५५५. ७३९ हे. से ५६३.४९२ हे. धारा-५ को वन युवा प्राप्तिका आदि के पक्ष में ५.२१.११. व्यायालय द्वारा निर्णय कर दिये गये। इस प्रकार निर्णय के पश्चात एनटी.पी.री. के पक्ष में दस्तावन्तरण हेतु निम्न प्रकार वन युवा का व्यापार क्षेत्रफल शेष रह गयी।

क्र. सं.	ग्राम का नाम	धारा-५ की वन युवा का धारा-२० की वन युवा का क्षेत्रफल एकड़ में क्षेत्रफल एकड़ में
१	बोजपुर	१२.८००
२	नकदु अदारा	१२.२५०
३	बेडहर	१५.०९९
४	सिरसोही	१.४९०
५	हैरी	३२.५६६
६	निहोहो	५.७४०
७	चन्द्रिया	२२.५८
८	कौलो	५०.०८९
चोगा-	२३३.४१४ Acr	४६५.२६५ Acr
कुल रकम २३३.४१४ + ४६५.२६५ = ६९८.६७९ एकड़ या २८०.५०८ हे.		

उक्त के संबंध में प्रभाग द्वारा वन संरक्षक वाराणसी बृत्त वाराणसी के माध्यम से उत्तम स्तर पर अवगत कराये जाने पर नोडल अधिकारी/ वन संरक्षक, वन उपयोग द्वात् उ.प्र. लखनऊ ने अपने पत्र संख्या- ९७५/११ से-१०(१२०) दिनांक- ०८.०२.१९९६ (संलग्नक-११) द्वारा ६९८.८७९ एकड़ (२८०.५०८ हे.) वन युवा के संबंध में समतुल्य गेर वन युवा एवं धनराशि आदि की मांग करने के निर्देश दिये गये तथा अपने पत्र संख्या- १०२६/११ सी-१०(१२०) दिनांक-१५.०२.१९९६ (संलग्नक-१२) द्वारा सहायक वन महानियोजक(वन संरक्षण) भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय एक.सी.डिवीजन द्वारा समाप्त लोटी जी.ओ. काप्पलेक्स, लोटी लोटी दिल्ली-११००३ को पत्र प्रेषित करते हुए २८०. ५०८ हे. वन युवा हस्तान्तरण के संबंध में संशोधित आदेश जारी करने हेतु अनुरोध किया गया। इस प्रकार सेवानिक स्थीकृति में प्रस्तावित वन युवा के एकबो में परिवर्तन के संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार को वर्ष १९९६ में ही अवगत करा दिया गया जिसके संबंध में भारत सरकार के स्तर से कोई अन्यथा निर्देश प्राप्त नहीं हुये।

## रिहन्द / Rihand

नोडल अधिकारी/वन सखक, वन उपयोग वृत्त उप्र लखनऊ के उक्त आदेश दिनांक- 06.02.1996 / 15.02.1996 के अनुपालन में एनटीपीसीद्वारा समतुल्य वैर वन भूमि (280.508 हे) पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु रु 4969500.00 का पेक संख्या- 2624055 दिनांक- 09.10.1997 रेनुकूट वन प्रभाग में उपलब्ध करायी गयी किन्तु समतुल्य वैर वन भूमि वन विभाग को उपलब्ध नहीं करायी गयी। समतुल्य वैर वन भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रभाग स्तर से विभिन्न पांच द्वारा एनटीपीसी को अवगत कराया जाता रहा।

प्रभाग द्वारा समतुल्य वैर वन भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु किये गये मौग पत्र के क्रम से एनटीपीसी द्वारा प्रभाग को यह जानकारी दी गयी कि वन महानिरीक्षक एवं विशेष सचिव भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक- 10.04.1997 (संलग्नक-13) द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि, "भारत सरकार केन्द्रीय सेक्टर की परियोजनाओं में जो क्षतिपूरक वनीकरण होना है वह दुग्धने अवतन वन भूमि पर होना है।"

भारत सरकार के उक्त आदेश दिनांक- 10.04.1997 के क्रम में एनटीपीसी, से 280.508 हे. वन भूमि के दुग्धने अवतन वन भूमि 561.00 हे. पर क्षतिपूरक वनीकरण करने हेतु पूर्व में जमा किये गये 49,69,500/- की धनराशि के अतिरिक्त अवशेष धनराशि रु. 32738115.00 की मौग की गयी। प्रभाग द्वारा एनटीपीसी को प्रेषित मौग पत्र के अनुसार एनटीपीसी ने बैंक ड्रापट संख्या- 230768 दिनांक- 18.02.2011 द्वारा अवशेष धनराशि रु 32738115.00 रेनुकूट वन प्रभाग में उपलब्ध कराया गया जिसे मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ.प्र. लखनऊ के माध्यम से कैम्पा निधि में जना कराया गया है।

उक्त के अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में उच्च स्तर से ग्राम निर्देश के क्रम में प्रभाग स्तर से एनटीपीसी को पत्र प्रेषित करते हुए 280.508 हे. वन भूमि का 9.20 लाख प्रति हे. की दर से रु. 258067360.00 (पचीस करोड़ अस्सी लाख सरसठ हजार तीन सौ साठ मात्र) की धनराशि जमा करने हेतु अनुरोध किया गया। उक्त के क्रम में एनटीपीसी द्वारा बांधित धनराशि रु. 258067360.00 का बैंक ड्रापट संख्या-994461 दिनांक- 10.07.2010 द्वारा Compensatory Afforestation Fund(CAF) Uttar Pradesh A/C NO- CA 1574 Corporation Bank New Delhi के नाम से बना हुए बैंक ड्रापट प्रभाग में उपलब्ध कराया गया जिसे कैम्पा निधि में जमा कराया गया है। इस प्रकार भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्थीकृति आदेश एवं उच्च स्तर से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में उपरोक्तानुसार अनुपालन किया गया है।


4. प्रश्नगत प्रकरण के निस्तारण हेतु दिनांक- 16.11.2017 को एफ०ए०सी० की बैठक आयोजित की गयी। एफ०ए०सी० की बैठक के क्रम में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली के पत्र

रिहन्द सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, पांडा-रिहन्दनगर, जिला-सोनभद्रा (उ.प.) पिन : 231 223 टेली / Tel: 05446-242021

Rihand Super Thermal Power Project P.O. Rihand Nagar, Distt. Sonebhadra (U.P) 231 223 Fax 05446-242115

प्रतिकूल गार्गालय एनटीपीसी भवन, रकोप काम्पलेक्स, 7इन्स्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

Regd Office NTPC Bhawan Scope Complex, 7 Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi-110 003



**एनटीपीसी लिमिटेड**

(भारत सरकार का वित्ती)

**NTPC Limited**

(A Unit of India Infrastructure  
Formerly National Thermal Power Corporation Ltd)

## रिहंद / Rihand

संख्या-8-412/1989- एफ०सी०(पी०टी०) दिनांक- 06.12.2017(संलग्नक-14) जारी करते हुए आवश्यक निर्देश जारी किया गया। उक्त निर्देश के क्रम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में रिहंद सुपर थर्मल पातार प्रोजेक्ट, रिहंदनगर-बीजपुर, जिला-सोनभद्र के वन भूमि हस्तान्तरण के संबंध में दिनांक- 14.12.2017 को बैठक सम्पन्न की गयी जिसके कार्यवृत्त संबंधी पत्रांक-1607/11-सी-बैठक दिनांक- 12/14.12.2017 (संलग्नक-15) जारी किया गया। उक्त कार्यवृत्त का विवरण निम्नानुसार है:-

(1) भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनांक-23.08.1991 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त 744 ह० वन भूमि में से एन०टी०पी०सी० द्वारा उपयोग में लाई जा रही है वन भूमि का मौके पर चिन्हांकन करते हुये कुल वास्तविक संशोधित वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के नवीन दिशा-निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन प्रस्ताव एन०टी०पी०सी० द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा, जिसमें वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार उक्त वन भूमि का जियो रिफरेंस डिजिटल मैप, के०एम०एल० फाईल की सी०डी० एवं एस०ओ०आई० टोपोशीट आदि सहित पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

2- एन०टी०पी०सी० द्वारा उपरोक्तानुसार उपयोग में लाई जा रही संशोधित वन भूमि का Land use define करेंगे।

3- एन०टी०पी०सी० द्वारा उपयोग में लाई जा रही संशोधित वन भूमि के अतिरिक्त उपयोग में ना लाई जा रही वन भूमि को वन विभाग के पक्ष में वापस करनी होगी, जिस हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ०प्र० लखनऊ के दिशा-निर्देशों के अनुसार मुख्य वन संरक्षक, बीरजापुर क्षेत्र, बीरजापुर द्वारा हस्तान्तरण की कार्यवाही सम्पन्न करायी जायेगी।

4- एन०टी०पी०सी० द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले संशोधित प्रस्ताव में शुद्ध वर्तमान गूल्य को पूर्व में जमा की गई शुद्ध वर्तमान गूल्य की धनराशि से समायोजित किया जायेगा।

5- संशोधित वन भूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव में भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार क्षतिपूर्ति हेतु दूगने अवतन वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की 10 वर्षों के अनुरक्षण सहित आवश्यक धनराशि वर्तमान संशोधित दर के अनुसार मौंग की जायेगी, जिसमें एन०टी०पी०सी० द्वारा पूर्व में जमा की गई क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि को समायोजित किया जायेगा।

6- एन०टी०पी०सी० द्वारा संशोधित वास्तविक क्षेत्रफल के अनुसार प्रस्तुत प्रस्ताव का सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

7- एन०टी०पी०सी० के द्वारा उपरोक्त कार्यवाही के साथ भारत सरकार के पत्र दिनांक- 23.08.1991 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की पूर्ण बिन्दुवार अनुपालन आख्या भी प्रस्तुत की जायेगी।

8- भारत सरकार के पत्र दिनांक- 06.12.2017 में दिये गये निर्देश के क्रम में एन०टी०पी०सी० को निर्देशित किया गया कि वन सलाहकार समिति के निर्णय के अनुपालन में ऐशा डाइक को छोड़ दिये खनन क्षेत्रों में डम्प करने से हेवी मेटल के रिहंद जलाशय में लीच करने की समावना पर एक अध्ययन National Economic and Environmental Research Institute, Nagpur से तत्काल

रिहंद सुपर थर्मल पातार प्रोजेक्ट, पांडा-रिहंदनगर, जिला-सोनभद्र (उ.प.) पिन : 231 223 टेली / Tel: 05446-242021

Rihand Super Thermal Power Project P.O- Rihand Nagar, Distt. Sonebhadra (U.P) 231 223 Fax 05446-242115

प्रिंटकृत कार्यालय: एनटीपीसी भवन, स्कॉप काम्पलेक्स, इन्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

Regd. Office NTPC Bhawan, Scope Complex, 7 Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi-110 003

### रिहंद / Rihand

करते हुये उनकी रिपोर्ट हरा कार्यालय के माध्यम से भारत सरकार, नई दिल्ली को उपलब्ध कराया जाएगा।

इस प्रकार प्रश्नगत प्रकरण के निरतारण हेतु दिनांक— 16.11.2017 को एफ०एसी० की बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगढ़ जौर बाग रोड, नई दिल्ली के पत्र संख्या—८-४१२/१९८९—एफ०एसी०(पी०टी०) दिनांक— 06.12.2017 तथा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में रिहन्द सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, रिहन्दनगर—बीजपुर, जिला—सोनगढ़ के वन भूमि प्रस्तान्तरण के संबंध में दिनांक— 14.12.2017 को सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवृत्त संघीय पत्रांक—1607/11-सी-बैठक दिनांक— 12/14.12.2017 हारा जारी निर्देशों के अनुपालन में 744.00 हे० वन भूमि ने सम्भिलित 188.241 हे० धारा—२० में विज्ञापित वन भूमि जिसका उपयोग एन०टी०पी०सी० हारा ऐश डाईक के लिए किया जाना था उसे रिहन्द जलाशय के 500 मीटर अन्दर होने के कारण उसका उपयोग न करते हुए उसे वन विभाग को वापस किया गया तथा अवशेष (744—188.241) 555.759 हे० धारा—४ में विज्ञापित वन भूमि जिसका उपयोग एन०टी०पी०सी० हारा करते हुए उसके नियमितीकरण किये जाने हेतु भारत सरकार के परिवेष पोर्टल पर ऑन लाइन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है जो वर्तमान में भारत सरकार के स्तर पर विचाराधीन है।

S.No.	Question
(ii)	State Government shall submit the justification for completion of work before the Stage-II approval along with reasons for non-submission of compliance of Stage-I approval prior to completion of work.
विन्दु संख्या— (ii) के अनुपालन में उत्तर उक्त विन्दु संख्या— (i) के अनुसार ही है।	
S.No.	Question
(iii)	Action taken by State Government against violation shall be intimated.
विन्दु संख्या— (iii) के अनुपालन में उत्तर उक्त विन्दु संख्या— (i) के अनुसार ही है।	
S.No.	Question
(iv)	Status of compliance of conditions of stage-I approval dated 23.08.1991 shall be provided along with details whether payment of Compensatory levies has been made by User Agency or not.
विन्दु संख्या— (iv) के अनुपालन में उत्तर उक्त विन्दु संख्या— (i) के अनुसार ही है।	
S.No.	Question
(v)	Justification for delay submission of compliance report till the matter was considered by FAC in 2017 add reasons for delay in compliance between 2017 to 2024, shall be submitted

रिहन्द सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, पा.आ.—रिहन्दनगर, जिला—सोनगढ़ (उ.प्र.) पिन : 231 223 टेली / Tel: 05446-242021

Rihand Super Thermal Power Project P.O. Rihand Nagar, Distt. Sonbhadra (U.P.) 231 223 Fax 05446-242115

एनटीपीसी कार्यालय एनटीपीसी भवन, रकोप कापलेक्स, 7 इन्स्टीट्यूशनल परिया, लोधी रोड, नई दिल्ली—110003

Regd. Office : NTPC Bhawan Scope Complex, 7 Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi-110 003

**रिहंद / Rihand**

बिन्दु संख्या—(v) के अनुपालन में वर्ष 2017 से 2024 तक हुए विलम्ब के रांबंध में विवरण निम्न प्रकार है :-

- 1— दिनांक— 16.11.2017 में एफएसी के निर्णय एवं भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र संख्या 8-412 / 1989 एफ.सी.0 (पी.टी.0) दिनांक 14.12.2017 के क्रम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की अध्यक्षता में रिहन्द सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट रिहन्द बीजपुर, जिला सोनभद्र के वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में दिनांक 14.12.2017 को बैठक आयोजित की गयी जिसमें एनटीपीसी के स्तर से 08 बिन्दुओं पर सूचना/अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। 08 बिन्दुओं पर सूचना/अभिलेख तैयार करते हुए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दिनांक 03.11.2018 को ऑन लाइन प्रस्ताव अपलोड किया गया।
- 2— दिनांक 14.11.2018 को कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्रांक संख्या— 997 / 11-सी-FP/UP/The/36097/2018, लखनऊ दिनांक 13.11.2018 द्वारा ईडीएस भेजा गया जिसके अनुपालन में दिनांक 03.03.2020 को उल्लिखित बिन्दुओं का अनुपालन कराते हुए ऑन लाइन प्रस्ताव पोर्टल पर अपलोड किया गया।
- 3— दिनांक 13.03.2020 को कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा FP/UP /THE/36097/2018-EDS raised on 12.03.2020) 20 आपत्तियों के साथ भेजा गया। जिसके अनुपालन में दिनांक 12.03.2021 को उल्लिखित 20 बिन्दुओं का अनुपालन कराते हुए प्रस्ताव ऑन लाइन पोर्टल पर अपलोड किया गया।
- 4— दिनांक 26.03.2021 को कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा FP/UP /THE/36097/2018-EDS raised on 26-03-2021) 07 आपत्तियों के साथ भेजा गया। जिसके अनुपालन में दिनांक 04.01.2022 को उल्लिखित 07 बिन्दुओं का अनुपालन कराते हुए प्रस्ताव ऑन लाइन पोर्टल पर अपलोड किया गया।
- 5— दिनांक 18.02.2022 को कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा FP/UP /THE/36097/2018-EDS raised on 18.02.2022 भेजा गया जिसमें विषयाकृत प्रकरण में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भरत सरकार, नई दिल्ली में आहूत एफएसी की बैठक दिनांक 16.11.2017 की कार्यवृत्त में उल्लिखित बिन्दुओं के क्रम में भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक दिनांक 8 / 142 / 1989—एफ.सी.पी.सी., दिनांक 06.12.2017 द्वारा दिए गये निर्देश एवं इसी क्रम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा सम्बन्धित पक्षों के साथ दिनांक 06.12.2017 को हुई बैठक, जिसका कार्यवृत्त के पत्रांक 1607 / 11-सी-बैठक, दिनांक 14.12.2017 द्वारा पूर्व में जारी किया गया है। उक्त कार्यवृत्त में दिए गए निर्देशानुसार कृत कार्यवाही की बिन्दुवार अनुपालन आख्या अभिलेखों सहित चाही गयी। उक्त कार्यवृत्त का अनुपालन आख्या अभिलेखों सहित दिनांक 05.04.2022 को अपलोड किया गया।
- 6— दिनांक 27.04.2022 को कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा पत्रांक 3052 / 11-सी, लखनऊ दिनांक 27.04.2022 भेजा गया

रिहन्द सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, पो.आ-रिहन्दनगर, जिला-सोनभद्र (उ.प्र.) पिन : 231 223 टेली / Tel: 05446-242021

Rihand Super Thermal Power Project P.O. Rihand Nagar, Distt. Sonebhadra (U.P) 231 223 Fax:05446-242115

पंजिकृत कार्यालय एनटीपीसी भवन, रकोप काप्लेक्स, 7 इन्स्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

Regd. Office NTPC Bhawan, Scope Complex, 7 Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi-110 003.

**रिहंद / Rihand**

जिसमें उक्त कृत कार्यवाही का विवरण सुरांगत अग्निलोहों राहित प्रेशित करने का आदेश किया गया। उक्त के क्रम में समस्त सुरांगत अग्निलोहों को विन्दुगार कृत कार्यवाही का विवरण दिनांक- 19.05.2022 को पोर्टल पर अपलोड किया गया था।

7- दिनांक 01.10.2022 को प्रस्ताव रो सम्बोधित सामर्त दस्तावेज की हाई कॉर्पो 06 प्रतियों में प्रभागीय दनाधिकारी, ऐनुकूट वन प्रभाग, ऐनुकूट के प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा जमा किया गया। जिसे समस्त अग्निलोहों सहित दिनांक 12.10.2022 को पोर्टल पर अपलोड किया गया, तत्पश्चात गांग-2 की कार्यवाही पूर्ण करते हुए ऐनुकूट वन प्रभाग द्वारा दिनांक 17.11.2022 को सामर्त अग्निलोहों सहित पोर्टल पर अपलोड किया गया।

8- उक्त प्रकरण में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, द्वारा पुनः दिनांक 30.12.2022 द्वारा 16 विन्दुओं पर जानकारी चाही गयी जिसका निराकरण करते हुए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दिनांक 28.02.2023 को प्रस्तुत किया गया।

9- दिनांक 06.04.2023 को कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा पत्रांक 3179/11-सी, लखनऊ दिनांक 03.04.2023 जारी किया गया। जिसका निराकरण करते हुए दिनांक- 23.06.2023 को प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पोर्टल पर अपलोड किया गया।

10- कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मिर्जापुर क्षेत्र, मिर्जापुर के पत्रांक 649/मी0क्षे0/33/मिर्जापुर, दिनांक 16.08.2023 द्वारा दिनांक 23.08.2023 को ईडीएस भेजकर जानकारी चाही गयी। उक्त प्रकरण का निराकरण करते हुए दिनांक 12.09.2023 को पोर्टल पर अपलोड किया गया।

11- उक्त के क्रम में कार्यवाही करते हुए अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रभाग स्तर से वांछित उत्तर संलग्न करते हुए प्रस्ताव को मुख्य वन संरक्षक मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के माध्यम से राज्य सरकार को प्रस्तुत किया गया।

S.No.	Question
(vi)	State Government shall submit the detailed chronology including the date of submission of proposal, date when execution of work is started and date when work was completed.

विन्दु संख्या- (vi) के अनुपालन में उत्तर उक्त विन्दु संख्या- (i) के अनुसार ही है।

S.No.	Question
(vii)	State Government shall submit the detailed chronology including date when notification under Section-4 was issued, completion of settlement proceeding and date of final notification under Section- 20 along with legal status and ownership details of the area proposed for diversion.

विन्दु संख्या- (vii) के अनुपालन में उत्तर उक्त विन्दु संख्या- (i) के अनुसार ही है।

रिहन्द सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, पा.आ-रिहन्दनगर, जिला-सोनेभद्रा (उ.प.) पिन : 231 223 टेली / Tel: 05446-242021

Rihand Super Thermal Power Project P.O. Rihand Nagar, Distt. Sonebhadra (U.P.) 231 223 Fax 05446-242115

एनटीपीसी कार्यालय एनटीपीसी भवन, रकाप कार्पलेक्स, 7 इन्स्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

Regd. Office NTPC Bhawan Scope Complex, 7 Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi-110 003

रिहंद / Rihand

S.No.	Question
(viii)	State shall inform the date when land was allotted to NTPC/User Agency for execution of work by the State along with the conditions of allotment. बिन्दु संख्या—(viii) के अनुपालन में उत्तर उक्त बिन्दु संख्या—(i) के अनुसार ही है।

S.No.	Question
(ix)	State shall submit the legal status of the land in case of which forest diversion proposal of 146.31 ha of forest land for construction of ash dyke was submitted. It shall also be informed whether proposal for regularization of 555.79 ha also includes the said 146.31 ha of forest land or not? The State shall also inform whether any work in violation has been carried out in case of said Ash Dyke or otherwise along with the timeline for the same. बिन्दु संख्या—(ix) के अनुपालन में अवगत कराना है प्रश्नगत परियोजना में प्रभावित 555.79 हेक्टेक्टर वन भूमि में 146.31 हेक्टेक्टर वन भूमि समिलित नहीं है। 146.31 हेक्टेक्टर वन भूमि में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कोई कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।

S.No.	Question
(x)	Initially, Ministry vide its letter No.8-412/89-FC dated 23.08.1991 has accorded in-principle/ Stage-1 approval of 744.00 ha forest land. Now, the proposal is submitted for regularization of 555.79 ha. In this regard, State Government shall submit the area change matrix giving comparative analysis of different components As Stage-1 approval dated 23.08.1991 and that of fresh diversion proposal of 555.79 ha which has been submitted now. बिन्दु संख्या—(x) के अनुपालन में उत्तर उक्त बिन्दु संख्या—(i) के अनुसार ही है।

10.1.25  
R.T  
सोनभद्र  
231223  
10.1.25



भवदीय

र.पा.उपाध्याय 04.01.25  
उप प्रबोधिक (मासिक)  
एनटीपीसी रिहंद  
सोनभद्र (उप्रो)  
संतोष कुमार उपाध्याय  
Santosh Kumar Upadhyay  
उप गठाधिक (गठन संसाधन)  
Dy. General Manager (HR)  
एनटीपीसी लिमिटेड-रिहंद (3.प.) 231223  
NTPC Limited-Rihand (U.P.) 231223

रिहंद सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, पा.ओ.-रिहंदनगर, जिला-सोनभद्र (उ.प.) पिन : 231 223 टेली / Tel: 05446-242021

Rihand Super Thermal Power Project P.O. Rihand Nagar, Distt. Sonebhadra (U.P.) 231 223 Fax: 05446-242115

पंजिकून कार्यालय: एनटीपीसी भवन, रखांप कामलेकर, 7इन्स्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

Regd. Office: NTPC Bhawan, Scope Complex, 7 Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi-110 003

# जनपद—सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग द्वारा रिहन्द सुपर थर्मल पावर स्टेशन रिहन्दनगर—बीजपुर(सोनभद्र) को वन भूमि हस्तान्तरण के संबंध में संक्षिप्त इतिहास ।

1. जनपद—सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग अन्तर्गत एन.टी.पी.सी रिहन्दनगर—बीजपुर के जनरल मैनेजर ने अपने पत्र संख्या— 070 /पी.एण्ड.ए.एल.ए. दिनांक— 03.07.1989 (संलग्नक—1) द्वारा 2351.453 एकड़ (951.60 हे.) वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया जिसका ग्रामवार क्षेत्रफल निम्न प्रकार है ।

क्र. सं.	ग्राम का नाम	धारा—4 की वन भूमि का क्षेत्रफल एकड़ में	धारा—20 की वन भूमि का क्षेत्रफल एकड़ में
1	बीजपुर	634.23	-
2	नकटू अधौरा	33.910	-
3	डोडहर	157.690	-
4	सिरसोती	32.598	-
5	खैरी	74.410	-
6	जरहा	139.53	-
7	मिटिहिनी	69.59	68.56
8	खम्हरिया	116.50	32.125
9	झीलो	254.25	738.06
	योग—	1512.708 Acr	838.745 Acr

कुल रकमा 1512.708 + 838.745 = 2351.453 एकड़ या 951.60 हे.

उक्त प्रस्ताव को उच्च स्तर के माध्यम से भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पर्यावरण भवन सी.जी.ओ.कम्पलेक्स लोदी रोड नई दिल्ली की सेवा में प्रेषित किया गया । इस संबंध में भारत सरकार के स्तर पर सलाहकार समिति की बैठक दिनांक— 24.07.1990 को आयोजित की गयी । उक्त बैठक में लिये गये निर्णय के पश्चात प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षणोपरान्त भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. कम्पलेक्स लोदी रोड नई दिल्ली ने अपने आदेश संख्या— 8—412/89— एफ.सी. दिनांक— 23.08.1991 (संलग्नक—2) द्वारा 951.60 हे. में से (744.00 हे.) वन भूमि हस्तान्तरण करने हेतु 2(दो) शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश जारी किया गया जिसका दोनों शर्त संख्या एवं ग्रामवार क्षेत्रफल निम्न प्रकार है ।

**(a)** The State Govt. should identify 744 ha. Of non-forest land immediately with comprehensive compensatory afforestation scheme and map. State Govt. should also take action for transfer of 744 ha. Of non- forest land in favour of Forest Deptt. To be followed up with notification declaring the same is protected forest.

**(b)** The User agency will have to transfer the cost of compensatory afforestation in favour of Forest Deptt.

क्र. सं.	ग्राम का नाम	धारा-4 की वन भूमि का क्षेत्रफल एकड़ में	धारा-20 की वन भूमि का क्षेत्रफल एकड़ में
1	बीजपुर	634.23	-
2	नकटू अधौरा	33.910	-
3	डोडहर	157.690	-
4	सिरसोती	32.598	-
5	खैरी	74.410	-
6	मिटिहिनी	69.59	68.56
7	खम्हरिया	116.50	32.125
8	झीलो	254.25	364.58
	योग-	1373.178 Acr	465.265 Acr

कुल रकवा  $1373.178 + 465.265 = 1838.443$  एकड़ या 744.00 हे.

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पर्यावरण भवन सी.जी.ओ.कम्पलेक्स लोदी रोड नई दिल्ली द्वारा जारी उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश के अनुपालन में एन.टी.पी.सी. द्वारा कुल  $1373.178 + 465.265 = 1838.443$  एकड़ (744.00 हे.) समतुल्य गैर वन भूमि एवं इस पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि वन विभाग को उपलब्ध कराया जाना था।

2. कैमूर के दक्षिण में निवास कर रहे आदिवासी ग्रामीणों एवं भूमिहीनों कृषकों द्वारा खेती के उपयोग में लाई जा रही अतिकमित एवं वर्ग-4 के रूप में दर्ज वन भूमि पर भौमिक अधिकार प्रदान किये जाने आदि के संबंध में एक स्वयं सेवी संस्थान वनवासी सेवा आश्रम द्वारा (एन०टी०पी०सी० द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतिकरण की तिथि से पूर्व) माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिका संख्या-1061 / 1982 दाखिल किया गया। उक्त रिट याचिका में एन.टी.पी.सी. द्वारा भी पक्षकार बनते हुए प्लान्ट आदि के निर्माण में आने वाली समस्याओं के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय को अवगत कराया गया। उक्त पर विवार करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक-20.11.86 (संलग्नक-3) को आदेश पारित करते हुए यह निर्देशित किया गया कि एन.टी.पी.सी. से प्रभावित ग्रामों पर किसानों आदि के कब्जे आदि का सत्यापन एक कमिशनर की नियुक्ति करते हुए एन.टी.पी.सी.

रिहन्द को आवश्यक धारा-4 की बन भूमि का कब्जा दे दिया जाय। माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक- 20.11.86 का गुरुव्य अंश निम्न प्रकार है। :-

(5) The land sought to be acquired for the Rihand Super Thermal Power Project of the NTPC shall be freed from the ban of dispossession . Such land is said to be about 153 acres for Ash Pipe Line and 1643 acres for Ash Dyke and are located in the villages of Khamariya, Mithanai, Parbatwa, Jheelotola, Dodhare and Jarha. Possession thereof may be taken after complying with the provisions of the Land Acquisition Act, but such possession should be taken in the presence of one of the Commissioners who are being appointed by this order and a detailed record of the nature and extent of the land, the same of the person who is being dispossessed and the nature of enjoyment of the land and all other relevant particulars should be kept for appropriate use in future. Such records shall be duly certified by the Commissioner in whose presence possession is taken and the same should be available for use in all proceedings that may be taken subsequently.

The NTPC has agreed before the Court that it shall strictly follow the policy on " facilities to be given to land oustees" as placed before the court in the matter of lands which are subjected to acquisition for its purpose, The same be taken as an undertaking to the court.

उक्त आदेश के अनुपालन में श्री राम प्रकाश पाण्डेय कमिशनर सुप्रीम कोर्ट आफ इण्डिया की नियुक्ति की गयी। श्री राम प्रकाश पाण्डेय कमिशनर सुप्रीम कोर्ट आफ इण्डिया द्वारा विभिन्न ग्रामों में एन.टी.पी.सी. के स्तर से वांछित धारा-4 की भूमि पर किसानों आदि के कब्जे का सत्यापन करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक- 14.12.1988 (संलग्नक-4) के अनुपालन में एन.टी.पी.सी. को वांछित बन भूमि उपलब्ध करायी गयी जिस पर एन.टी.पी.सी.द्वारा प्लान्ट की स्थापना की गयी। उपरोक्तानुसार उपलब्ध करायी गयी बन भूमि में किसानों आदि के कब्जे की भूमि का ग्रामवार विवरण निम्नवत है :-

क्र. सं.	ग्राम नाम	भा.व.अ.1927 की धारा-4 के अन्तर्गत विज्ञापित भूमि एकड़ में	सदस्य बोर्ड कमिशनर द्वारा उपलब्ध करायी गयी धारा-4 की भूमि क्षेत्रफल एकड़ में	सदस्य बोर्ड आफ कमिशनर द्वारा भूमि उपलब्ध कराने की तिथि
1	बीजपुर	634.23	541.430	18.06.89
2	डोडहर	157.69	141.621	24.01.89
3	सिरसोती	32.598	31.108	17.02.89
4	खैरी	74.41	41.844	12.03.88
5	मिटिहिनी	69.59	62.649	06.02.88
6	नकटू अधौरा	33.91	16.970	29.08.89
	योग-	405.66822 हेक्टर	835.622 एकड़ या 338.16423 हेक्टर	

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक- 14.12.1988 का मुख्य अंश निम्न प्रकार है :-

..... Mr Pandey, one of the Commissioners, is directed to visit the locality where the lands required for NTPC are located and to take immediate steps to ensure that the acquired land is released in favour of the Corporation within two weeks from today. Care should be taken to ensure that the interests of the residents within the area are not affected. Once this process is done, NTPC would be free to proceed with its work and there would be no prohibition against the NTPC in regard to the acquired lands.

एलान्ट की स्थापना के दौरान तल्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी रेनकूट द्वारा वन भूमि पर किये जा रहे निर्माण कार्य पर आपत्ति भी की गयी किन्तु श्री राग प्रकाश पाण्डेय कमिशनर सुपीय कोर्ट द्वारा नाराजगी प्रकट करते हुए अपने पत्र दिनांक- 16.09.1989 (संलग्नक-5) द्वारा वन संरक्षक वाराणसी वृत्त को पत्र प्रेषित करते हुए तल्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी को भी यह अवगत कराया गया कि निर्माण कार्य पर आपत्ति करना माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक- 20.11.1986 एवं 08.02.1989 का उल्लंघन होगा। श्री राग प्रकाश पाण्डेय कमिशनर सुपीय कोर्ट के पत्र दिनांक- 16.09.1989 का मुख्य अंश निम्न प्रकार है :-

..... In this connection I would like to mention that verification and transfer of occupancies has already taken place in compliance of the order of the Hon'ble Supreme Court dated 20-11-1986. Hence it would be a clear violation of the order of Hon'ble Supreme Court dated 8.2.1989 if any obstruction is caused by the Forest Department in the construction work of the NTPC Project. I would therefore suggest that necessary directions be issued to the D.F.O to refrain from obstructing projected works, otherwise serious legal consequences may follow.

उक्त कब्जा की जानकारी भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. कम्पलेक्स लोदी रोड नई दिल्ली को होने पर उन्होने अपने पत्र संख्या- 8-412/89-एफ.सी. दिनांक- 27.09.1989 (संलग्नक-6) द्वारा सचिव वन उ.प्र. सरकार से सूचना माँगी गयी। भारत सरकार के उक्त आदेश के कम में विशेष कार्याधिकारी उ.प्र. शासन ने अपने पत्र संख्या-2398/14-3-975/83 लखनऊ दिनांक- 24.10.1989 (संलग्नक-7) द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार को अवगत कराया गया कि एन.टी.पी.सी. रिहन्दनगर-बीजपुर जिला-सोनभद्र को वन भूमि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक- 14.12.1988 के अनुपालन में हस्तगत करायी गयी है।

उक्त याचिका की सुनवायी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनः दिनांक- 08.02.89 की गयी और यह आदेशित किया गया कि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्राविधिक केवल एन.टी.पी.सी.रिहन्दनगर-बीजपुर जिला-सोनभद्र द्वारा बांधित धारा-20 की भूमि पर तथा अकृषिक भूमि पर ही आकर्षित होंगे। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक- 08.02.1989 (संलग्नक-8) का मुख्य अंश निम्न प्रकार है :-

-----At it appears the requirement of the NTPC has now increased to 2495 acres. Out of these land 1322 acres are said to be under occupancy, 185 acres constitute Goan Sabha Lands and 987 acres are said to be forest lands. 791 acres of these lands seem to have been notified as reserved forest under section 20 of the Indian Forest Act, 1927, they are outside the purview of the writ petition as already directed by this Court. Release of such lands can only be done by satisfying the requirement of the Forest (Conservation) Act, 1980 and our order

has, therefore, nothing to do with these 791 acres of land. 195 acres are said to be covered by a Notification under section 4 of the Forest Act. The balance of 942 acres seem to have been notified under section 4 of the Forest Act and they are covered by the present survey and record operations under the supervision of the Commissioners appointed by the Court.

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक- 08.02.1989 की ओर प्रति असिसेन्ट रजिस्टरार माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने पत्र रां. डी.ओ. 1061/82/एस.ई.सी.-XV नं. दिल्ली दिनांक- 13.02.1989 (संलग्नक-9) द्वारा ज्यूडिसियल 'ए' संघिन उ.प्र. शासन लखनऊ व श्री आर.पी.पाण्डेय कमिशनर 32/2 रटेनली रोड इलाहाबाद को प्रेषित की गयी। उक्त के कग में रांयुक्त सचिव उ.प्र. शासन ने अपने पत्र संख्या- 1496/14-3-975/83 लखनऊ दिनांक- 17.03.1989 (संलग्नक-10) द्वारा वन संरक्षक, वन उपयोग वृत्त एवं नोडल अधिकारी उ.प्र. लखनऊ को आदेश की प्रति संलग्न करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अवगत कराया गया तथा पत्र की प्रतिलिपि अन्य के साथ ही साथ प्रभाग को भी पृष्ठाकृत की गयी।

3. भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पर्यावरण भवन सी.जी.ओ.कम्पलेक्स लोदी रोड नई दिल्ली द्वारा जारी उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश जारी होने से पूर्व से ही माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष वनवारी सेवा आश्रम द्वारा दाखिल याचिका संख्या- 1061/1982 में पारित मुख्य आदेश दिनांक- 20.11.1986 के अनुपालन में वन बन्दोबस्त की कार्यवाही उक्तानुसार सम्पादित हुयी थी। इस कार्यवाही के दौरान उक्त 744 हे. वन भूमि ने सन्मिलित धारा-4 मे विज्ञापित वन भूमि 555.759 हे.0 मे से 463.492 हे. धारा-4 की वन भूमि ग्रामीणो आदि के पक्ष में ए.डी.जे. न्यायालय द्वारा निर्णित कर दिये गये। इस प्रकार निर्णय के पश्चात एन.टी.पी.सी. के पक्ष में हस्तान्तरण हेतु निम्न प्रकार वन भूमि का ग्रामवार क्षेत्रफल शेष रह गयी।

क्र. सं.	ग्राम का नाम	धारा-4 की वन भूमि का क्षेत्रफल एकड़ में	धारा-20 की वन भूमि का क्षेत्रफल एकड़ में
1	योजपुर	92.800	-
2	नकटू अधौरा	12.250	-
3	डोडहर	15.099	-
4	सिरसोती	1.490	-
5	खेरी	32.566	-
6	मिटिहिनी	5.740	68.560
7	खम्हरिया	22.58	32.125
8	झीलो	50.089	364.58
	योग-	233.414 Acr	465.265 Acr

कुल रकमा 233.414 + 465.265 = 698.679 एकड़ या 280.508 है।

उक्त के संबंध में प्रभाग द्वारा वन रांखक चाराणरी वृत्त वाराणसी के माध्यम से उच्च स्तर पर अवगत कराये जाने पर नोडल अधिकारी/वन रांखक, वन उपयोग वृत्त उ.प्र. लखनऊ ने अपने पत्र संख्या— 975/11 सी-10(120) दिनांक— 08.02.1996 (संलग्नक-11) द्वारा 698.679 एकड़ (280.508 हे.) वन भूमि के संबंध में समतुल्य गैर वन भूमि एवं धनराशि आदि की मौग करने के निर्देश दिये गये तथा अपने पत्र संख्या— 1026/11 सी-10(120) दिनांक— 15.02.1996 (संलग्नक-12) द्वारा सहायक वन महानिरीक्षक(वन संरक्षण) भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय एफ.सी. डिवीजन पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड नई दिल्ली-11003 को पत्र प्रेषित करते हुए 280.508 हे. वन भूमि हस्तान्तरण के संबंध में संशोधित आदेश जारी करने हेतु अनुरोध किया गया। इस प्रकार सैद्धान्तिक स्वीकृति में प्रस्तावित वन भूमि के रकबे में परिवर्तन के संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार को वर्ष 1996 में ही अवगत करा दिया गया जिसके संबंध में भारत सरकार के स्तर से कोई अन्यथा निर्देश प्राप्त नहीं हुये।

नोडल अधिकारी/वन संरक्षक, वन उपयोग वृत्त उ.प्र. लखनऊ के उक्त आदेश दिनांक— 08.02.1996 / 15.02.1996 के अनुपालन में एन.टी.पी.सी.द्वारा समतुल्य गैर वन भूमि (280.508 हे.) पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु रु. 4969500.00 का चेक संख्या— 2624055 दिनांक— 09.10.1997 रेनुकूट वन प्रभाग में उपलब्ध करायी गयी किन्तु समतुल्य गैर वन भूमि वन विभाग को उपलब्ध नहीं करायी गयी। समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रभाग स्तर से विभिन्न पत्रों द्वारा एन.टी.पी.सी. को अवगत कराया जाता रहा।

प्रभाग द्वारा समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु किये गये मौग पत्र के कम में एन.टी.पी.सी.द्वारा प्रभाग को यह जानकारी दी गयी कि वन महानिरीक्षक एवं विशेष सचिव भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक— 10.04.1997 (संलग्नक-13) द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि, “भारत सरकार केन्द्रीय सेक्टर की परियोजनाओं में जो क्षतिपूरक वनीकरण होना है वह दुग्ने अवनत वन भूमि पर होना है”।

भारत सरकार के उक्त आदेश दिनांक— 10.04.1997 के कम में एन.टी.पी.सी. से 280.508 हे. वन भूमि के दुग्ने अवनत वन भूमि 561.00 हे. पर क्षतिपूरक वनीकरण करने हेतु पूर्व में जमा किये गये 49,69,500/- की धनराशि के अतिरिक्त अवशेष धनराशि रु. 32738115.00 की मौग की गयी। प्रभाग द्वारा एन.टी.पी.सी. को प्रेषित मौग पत्र के अनुसार एन.टी.पी.सी.ने बैंक ड्राफ्ट संख्या— 230768 दिनांक— 18.02.2011 द्वारा अवशेष धनराशि रु. 32738115.00 रेनुकूट वन प्रभाग में उपलब्ध कराया गया जिसे मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ.प्र. लखनऊ के माध्यम से कैम्पा निधि में जमा कराया गया है।

उक्त के अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में उच्च स्तर से प्राप्त निर्देश के कम में प्रभाग स्तर से एन.टी.पी.सी. को पत्र प्रेषित करते हुए 280.508 हे. वन भूमि का 9.20 लाख प्रति हे. की दर से रु. 258067360.00 (पचीस करोड़ अस्त्री लाख सरसठ हजार तीन सौ साठ मात्र) की धनराशि जमा करने हेतु अनुरोध किया गया। उक्त के कम में एन.टी.पी.सी. द्वारा वांछित धनराशि रु. 258067360.00 का बैंक ड्राफ्ट संख्या—994461 दिनांक— 10.07.2010 द्वारा Compensatory Afforestation Fund(CAF)

Uttar Pradesh A/C NO- CA 1574 Corporation Bank New Delhi के नाम से बना हुए वैक हाउट प्रभाग में उपरोक्त कराया गया जिसे कैम्पा निवि में जमा कराया गया है। इस प्रकार भारत राजकार द्वारा जारी रौद्रान्तिक स्वीकृति आदेश एवं उच्च रत्न से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में उपरोक्तानुसार अनुपालन किया गया है।

4. पश्चात प्रकरण के निरतारण हेतु दिनांक— 16.11.2017 को एफ०ए०री० की बैठक आयोजित की गयी। एफ०ए०री० की बैठक के क्रम में भारत राजकार पर्यावरण वन एवं जलवाया परिवर्तन मंत्रालय, इन्डिरा पर्यावरण गवन, अलीगंज, जोर वाग रोड, नई दिल्ली के पत्र संख्या-४-४१२ / १९८९— एफ०री०(पी०टी०) दिनांक— ०६.१२.२०१७(संलग्नक—१४) जारी करते हुए आवश्यक निर्देश जारी किया गया। उक्त निर्देश के क्रम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में रिहन्द सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, रिहन्दनगर-बीजपुर, जिला-सोनमढ़ के वन भूमि हस्तान्तरण के संबंध में दिनांक— १४.१२.२०१७ को बैठक सम्पन्न की गयी जिसके कार्यवृत्त संवंधी पत्रांक—१६०७ / ११-सी-बैठक दिनांक— १२ / १४.१२.२०१७ (संलग्नक—१५) जारी किया गया। उक्त कार्यवृत्त का विवरण निम्नानुसार है :—

(१) भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनांक—२३.०८.१९९१ के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त ७४४ हे० वन भूमि में से एन०टी०पी०सी० द्वारा उपयोग में लाई जा रही है वन भूमि का नौके पर चिन्हांकन करते हुये कुल वास्तविक संशोधित वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, १९८० के नवीन दिशा निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन प्रस्ताव एन०टी०पी०सी० द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा, जिसमें वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार उक्त वन भूमि का जियो रिफरेंस डिजिटल मैप, के०ए०पी०एल० फाईल की सी०डी० एवं एस०ओ०आई० टोपोशीट आदि सहित पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

२— एन०टी०पी०सी० द्वारा उपरोक्तानुसार उपयोग में लाई जा रही संशोधित चिन्हित वन भूमि का Land use define करेंगे।

३— एन०टी०पी०सी० द्वारा उपयोग में लाई जा रही संशोधित वन भूमि के अतिरिक्त उपयोग में ना लाई जा रही वन भूमि को वन विभाग के पक्ष में वापस करनी होगी, जिस हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ०प्र० लखनऊ के दिशा-निर्देशों के अनुसार मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर द्वारा हस्तान्तरण की कार्यवाही सम्पन्न करायी जायेगी।

४— एन०टी०पी०सी० द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले संशोधित प्रस्ताव में शुद्ध वर्तमान मूल्य को पूर्व में जमा की गई शुद्ध वर्तमान मूल्य की धनराशि से समायोजित किया जायेगा।

५— संशोधित वन भूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव में भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार क्षतिपूर्ति हेतु दूगने अवतन वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की १० वर्षों के अनुरक्षण सहित आवश्यक धनराशि वर्तमान संशोधित दर के अनुसार मॉग की जायेगी, जिसमें एन०टी०पी०सी० द्वारा पूर्व में जमा की गई क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि को समायोजित किया जायेगा।

६— एन०टी०पी०सी० द्वारा संशोधित वास्तविक क्षेत्रफल के अनुसार प्रस्तुत प्रस्ताव का सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वन अधिकार अधिनियम, २००६ के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

७— एन०टी०पी०सी० के द्वारा उपरोक्त कार्यवाही के साथ भारत सरकार के पत्र दिनांक— २३.०८.१९९१ द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की पूर्ण बिन्दुवार अनुपालन आख्या भी प्रस्तुत की जायेगी।

8- भारत सरकार को पत्र दिनांक- 06.12.2017 में दिये गये निर्णय के क्रम में एन०टी०पी०सी० को निर्देशित किया गया कि वन सलाहकार समिति के निर्णय के अनुपालन में ऐसा डाईक को छोड़े गये बनान थोड़ो में उम्प करने से हेठी पोर्टल के रिहन्द जलाशय में लीच करने की सम्भावना पर एक अध्ययन National Economic and Environmental Research Institute, Nagpur से तर्काल कराते हुये उनकी रिपोर्ट इस कार्यालय के माध्यम से भारत सरकार , नई दिल्ली को उपलब्ध कराया जाएगा ।

इस प्रकार प्रश्नगत प्रकरण के निरतारण हेतु दिनांक- 16.11.2017 को एफ०ए०सी० की बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोर वाम रोड, नई दिल्ली के पत्र संख्या-४-४१२ / १९८९- एफ०सी०(पी०टी०) दिनांक- 06.12.2017 तथा मुख्य वन संस्कार/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में रिहन्द सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, रिहन्दनगर-बीजपुर, जिला-सोनभद्र के वन भूमि हरतान्तरण के संबंध में दिनांक- 14.12.2017 को सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवृत्त संबंधी पत्रांक-1607 / 11-सी-बैठक दिनांक- 12 / 14.12.2017 द्वारा जारी निर्देशो के अनुपालन में 744.00 हेठो वन भूमि में सम्मिलित 188.241 हेठो धारा-20 मे विज्ञापित वन भूमि जिसका उपयोग एन०टी०पी०सी० द्वारा ऐसा डाईक के लिए किया जाना था उसे रिहन्द जलाशय के 500 मीटर अन्दर होने के कारण उसका उपयोग न करते हुए उसे वन विभाग को वापस किया गया तथा अवशेष (744-188.241) 555.759 हेठो धारा-4 मे विज्ञापित वन भूमि जिसका उपयोग एन०टी०पी०सी० द्वारा करते हुए उसके नियमितीकरण किये जाने हेतु भारत सरकार के परिवेश पोर्टल पर ऑन लाइन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है जो वर्तमान मे भारत सरकार के सतर पर विचाराधीन है ।



02.11.14

संतोष कुमार उपाध्याय  
Santosh Kumar Upadhyay  
उप अध्यक्ष (जलवा संसाधन)  
Dy. General Manager (HR)  
एनटीपीसी लिमिटेड-रिहन्द (3.9.) 231223  
NTPC Limited-Rihand (U.P.) 231223



Phone - 21, Shakti Nagar Exchange  
Gram - THERMAL POWER  
Telex - 0545-249 NTPC, Varanasi

AHLEY-L  
१  
नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिं  
*National Thermal Power Corporation Ltd*  
(भारत सरकार द्वारा उत्पादित)  
(A Govt. of India Enterprise)

रिहान्द रुपर थालि पावर प्रोजेक्ट

Rihand Super Thermal Power Project  
मुज़फ्फराबाद, बिहार (दो टो)।  
P. O. Rihand Nagar, Distt. - Mirzapur (U.P.)  
Pin code - 231223

Ref. No. 070/PLA/LM/

Date: 3.7.81.

THE LOCAL OFFICER, CONSERVATOR OF FOREST,  
LUCKNOW

sub: Proposal for forest clearance in principle for  
transfer of forest land for construction of Rihand  
Super Thermal Power Project in Tehsil Dudhi,  
Distt. Sonebhadra

Sir,

Enclosed please find a proposal for transfer of forest  
land for construction of Rihand Super Thermal Power  
Project of NTPC in Distt. Sonebhadra. This proposal  
comprises the following classes of lands:

- a) Land notified u/s 20 of the Indian Forest Act.
- b) Land notified u/s 4 of the above Act and on which  
there is no occupancy and is recorded as jungle.
- c) Land notified u/s 4 on which occupancy of villagers  
is recorded by the survey agency and part of which  
has been handed over to NTPC as per Supreme Court  
judgement in presence of Sh. R. P. Pandey, Commissioner.
- d) Land notified u/s 4 which is already in possession  
of NTPC which the revenue records classified as  
Gaon Sabha or Class IV lands.

As regards (a) and (b) above, there is no adverse implication  
in respect of their proposal being submitted for clearance.

As regards land at (c) above, part of the same has been  
handed over by the occupants in presence of the Commissioner  
Shri R. P. Pandey, in terms of the orders of the Supreme Court  
of India. In respect of this transfer the occupants are  
being paid crop compensation @ Rs. 850/- per acre per year  
as decided and directed by the Commissioner as a part of  
handing over of the land.

Occupancies have been recorded on this land during the  
course of record operation. The order of the FSO are  
being scrutinised by the M.O. in an appellate court.

C.I.J.



Phone - 21, Shakti Nagar Exchange  
Gram - THERM POWER  
Telex - 0546-249 NTPC, Varanasi

नेशनल थार्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड  
National Thermal Power Corporation Ltd.

(भारत सरकार द्वारा संचालित)

(A Govt. of India Enterprise)

## रिहान्द सुपर थार्मल पावर प्रोजेक्ट

Rihand Super Thermal Power Project

प्रो. नं. 197, प्रस-इलाहा (उ. प.)

P. O. Rihand Nagar, Distt.-Mirzapur (U. P.)

\* Pin code - 231223

Ref. No. ....

- 2 -

Date.....

Also a legislation has been passed by the State of UP in 1987 that the ownership shall vest in favour of the occupants cultivating the land since before 1978. ... such, in terms of the Supreme Court Order, if the ADJ favours the occupants, NTPC will have to compensate the villagers for the land, property, etc. and treat them as oustees for rehabilitation purpose. Also in terms of the agreement reached at Delhi on 2.2.89, only for the land finally declared to be forest land, NTPC will need compensate the forest department.

As regards land at (d) above, the land which was classified as Gaon Sabha or Class IV was handed over to NTPC's possession in 1983 by the Distt. Administration for construction of the project. Also, compensation for houses, wells, trees and bunderis has been made to most of the affected occupants on such land on basis of an agreement on 9.2.83 between the H.P.C., villagers' representatives, MP & MLA and the Distt. Admin. representatives and thus it may be treated as transferred to NTPC legally and the forest clearance in respect of this land, for purposes of record as per agreement reached in meeting on 2.2.89 in MDEF.

NTPC has worked and is working on lands handed over by the occupants/district administration on the premise that the same constitutes govt. land over which the villagers have occupancy recorded.

In view of the above, the Forest Deptt. may claim the compensation for trees, the cost of compensatory afforestation and the extent of land required therefor in respect of (a) & (b) above currently and for the balance, after the ADJ finally decides the titles, NTPC agrees to abide by the decision of ADJ and deposit the amount as and when demanded by the forest deptt. after the decision of ADJ. However, if it is considered essential by the forest deptt., NTPC agrees to deposit the money on provisional basis, subject to the condition that the forest deptt. will refund the entire amount in respect of the land which has been finally decided not to be that of forest department.

Ctd. No. -



Phone - 21, Shakti Nagar Exchange  
Gram - THERM POWER  
Telex - 0545-249 NTPC, Varanasi

नेशनल थार्मल पावर कॉर्पोरेशन लिं.  
**National Thermal Power Corporation Ltd.**

(भारत सरकार का उद्यम)  
(A Govt. of India Enterprise)

रिहन्द सुपर थार्मल पावर प्रोजेक्ट

Rihand Super Thermal Power Project  
पो. रिहन्द नगर, बिहार-मिर्जापुर (उ. प.)  
P. O. Rihand Nagar, Distt.-Mirzapur (U. P.)  
Pin code - 231223

Date.....

Ref. No. ....

- 3 -

As agreed in the meeting of 2nd Feb. '89 in MOEF, NTPC  
will abide by the provisions of Forest Act and request  
you to please accept the above land transfer proposal  
and give clearance for the total land, in principle,  
at a very early date.

Thanking you,

Yours faithfully,

(K. RAMAKRISHNAN)  
GENERAL MANAGER

MINISTRY  
OF THE ENVIRONMENT  
GOVERNMENT OF INDIA  
DEPARTMENT OF FORESTS

MR. J. P. SINGH  
FAX NO.: 011-2360628  
TELEPHONE NO.: 011-2360628  
FAX NO.: 011-2360628  
PARSAVAN BHAWAN & CO. LTD.  
HIGH-10, 46 SECTOR-11A  
LUDHI ROAD, NEW DELHI-110003

23rd August, 1991

The Secretary (Forests),  
Govt. of Uttar Pradesh,  
Lucknow.

Sub: Diversion of 951.620 ha. of forest land for construction of  
Rihand Super Thermal Power Project in Sonebhadra (Mirzapur  
district).

Sir,

I am directed to refer to your letter NO. 4004/14-3-975/83  
dated 23.6.83 on the above subject seeking prior approval of Central  
Govt. in accordance with Section 2 of the Forest (Cons) Act, 1980  
and to say that the proposal has been examined by the Advisory  
Committee constituted by the Central Govt. under Section 3 of the  
aforesaid Act.

After careful consideration of the proposal of the State Govt.  
and on the basis of recommendation of the above Advisory Committee,  
the Central Govt. hereby agrees in principle for approval for  
diversion of 744 ha. of forest land for construction of Rihand Super  
Thermal Power Project in Sonebhadra (Mirzapur district) subject to  
fulfillment of the following conditions.

1. The State Govt. should identify 744 ha. of non-forest land  
immediately with comprehensive compensatory afforestation  
scheme and map. State Govt. should also take action for  
transfer of 744ha of non-forest land in favour of Forest  
Dept. to be follow'd up with notification declaring the same  
as protected forest.
2. The User agency will have to transfer the cost of  
compensatory afforestation in favour of Forest Deptt.

After receipt of compliance report on the fulfillment of the  
above condition from the State Govt. formal approval order under  
Section 2 of Forest (Cons) Act will be issued. Transfer of forest  
land to user agency shall not be effected by State Govt. until  
formal order is issued.

Yours faithfully,

( KHAZAN SINGH )

ASSTT. INSPECTOR GENERAL OF FORESTS

Copy to:

1. PCCF, Govt. of Uttar Pradesh, Lucknow.
2. Nodal Officer, 17-Rana Pratap Marg, U.P. Lucknow.
3. CCF (Central), U.P. Lucknow (Regional Office)
4. Regional Office (HO)
5. Guard file.

24/07/2023-8-9  
( KHAZAN SINGH )  
AIG (FC)

141490.

14

IN THE SUPREME COURT OF INDIA  
ORIGINAL JURISDICTION

WRIT PETITION(CRIMINAL)NO. 1061 of 1982.

CRL. Misc. Petition No. 2662 of 1986.

Banswasi Sowa Ashram. ....Petitioner

-Versus-

State of U.P. and ors. ....Respondents

O R D E R

On the basis of a letter received from Banswasi Sowa Ashram operating in the Mirzapur District this Writ petition under Article 32 was registered. Grievance was made on several scores in that letter but ultimately the question required detailed consideration was relating to the claim of the Adivasis living within Dudhi and Robertsgang Tehsils in the District of Mirzapur in Uttar Pradesh to land and related rights. The State Government declared a part of these jungle lands in the two Tehsils as reserved forest as provided under section 20 of the Indian Forest Act, 1927 and in regard to the other areas notification under section 4 of the Act was made and proceedings for final declaration of those areas also as reserved forests were

undertaken. It is common knowledge that the Adivasis and other backward people living within the Jungle used the forest area as their habitat. They had raised several villages within these two Tehsils and for generations had been using the Jungles around for collecting the requirements for their livelihood- fruit vegetables, fodder, flowers, timber, animals by way of sports and fuel wood. When a part of the jungle became reserved forest land in regard to other proceedings under the Act were taken, the forest officers started interfering with their operations in those areas. Criminal cases for encroachments as also other forest offences were registered and systematic attempt was made to obstruct them from free movement. Even steps for throwing them out under the U.P. Public Promises (Eviction of Unauthorised occupants) Act 1972 were taken.

Some of the villages which were in existence for quite some time also came within the prohibited area. The tribals had converted certain lands around their villages into cultivable fields and had also been raising crops for their food. These lands too were included in the notified areas and, therefore, attempt of the Adivasis to cultivate these lands too was resisted.

On 22.8.1983, this Court made the following order:

"The Writ petition is adjourned to 4th October, 1983 in order to enable the parties to work out a formula under which claims of adivasis or tribals in Dudhi and Robertganj Tehsils, to be in possession of land and to regularisation of such possession may be investigated by a high powered committee with a view to

reaching a final decision in regard to such claims. Meanwhile, no further encroachments shall be made on forest land nor will any of the Adivasis or tribals be permitted under colour of this order or any previous order to cut any trees and if any such attempt is made, it will be open to the State authorities to prevent such cutting of trees and to take proper action in that behalf but not so as to take away possession of the land from the Adivasis or tribals."

On behalf of the State of Utter Pradesh an affidavit was filed by the Assistant Record Officer wherein

it was stated:

"It is respectfully submitted that for the information of this Court the State Government is already seized with the matter and is trying to identify claims and find out ways and means to regularise the same. To achieve this aim the Government has already appointed a High Power Committee chaired by the Chairman of Board of Revenue, U.P., Collector, Mirzapur and conservator of Forest, South Circle, are also members of this Committee. This Committee has already held two sittings. In the last meeting held at Pipri on 16/17-8-1983 people of all shades of opinion presented their respective points of view before the Committee."

On 15.12.1983, this Court made another order which indicated that the Court was of the view that another High Powered Committee should be appointed. The relevant portion of that order was to the following effect:

"....the parties will discuss the composition and modalities of the High Power Committee to be appointed by the Court for the purpose of adjudication of the various claims for the persons belonging to the Scheduled Caste and other backward classes in Robertsganj and Dudhi Tehsils of Mirzapur District. Notice will also specify, that the Court proposes to appoint a High Power Committee consisting of retired High Court Judge and two other officers for the purposes of adjudicating upon the claims of the persons belonging to Scheduled Caste and Backward Classes in Dudhi and

"Robertsganj Tehsils of their land entitlements as also to examine the hereditary and customary rights of farmers in those tehsils and to adjudicate upon the claims of tribals of their customary rights with respect to fodder fuel, wood, small timber sand and stones for the houses timber for agriculture implements, flowers, fruits and minor forest produce.

The Uttar Pradesh Government had in the meantime indicated that the tenure of the committee under the Chairmanship of Shri Maheshwar Prasad, was to expire on December 31, 1983 and Government was awaiting the recommendations of that Committee. In that letter it was specifically stated:

"In the opinion of the State Government it would be more fruitful if the Committee proposed in your letter is constituted after the recommendations and advice of the previous committee are received. The Government have agreed in principle that the proposed Committee with wide legal powers be constituted for adjudication of disputes."

Admittedly there had been no survey and settlement in these tehsils and in the absence of any definite record, this Court accepted the representation of the parties that it would be difficult to implement the directions of the Court. The Court, therefore, directed that survey and record operation in these Tehsils be completed. But later it was again represented on behalf of the State Government that completion of such operation within a short and limited time would be difficult and particularly, during the rainy and the winter seasons it would not at all be practicable to work. The Court thereafter did not reiterate its directions in the matter of preparation of the survey and record operations and awaited the report of the Maheshwar Prasad Committee. Intermittent directions were given on applications filed on behalf of tribals when further prosecutions were launched.

From the affidavit of Shri B.K.Singh Yadav, Joint Secretary to the Revenue Department of the State Government, it appears that the Maheshwar Prasad Committee identified 433 villages lying South of the Kalimur Range of the Mirzapur District to be relevant for the present dispute of those 299 were in Dudhi Tehsil and the remaining 134 in Robertsganj Tehsil. The area involved was 9,23,293 acres out of which in respect of 58,937.42 acres notification under section 20 of the Act has been made declaring the same as reserved forest and in respect of 7,89,086 acres notification under section 4 of the Act has been made. The Committee in its report pointed out that unauthorised occupation related to roughly one lakh eighty-two thousand acres.

In the same affidavit, it has been further stated that the Government by notification dated August 5, 1986, has established a special agency for survey and record operations to solve the problems of the claimants in the area and a copy of the notification has also been produced.

While this matter had been pending before this Court and there has been a general direction that there should be no dispossession of the local people in occupation of the lands, Government has decided that a Super Thermal Plant of the National Thermal Power Corporation Limited (for short 'NTPC') would be located in a part of these lands and acquisition proceedings have been initiated. NTPC is now a party before us upon its own seeking and has made an application indicating specifically the details of the lands which are sought to be acquired for its purpose. It has been claimed that the completion of the project is a time-bound programme and unless the lands intended to be acquired are made free from prohibitive directions of this Court, the acquisition as also the consequential dispossession of persons in occupation and takeover of possession by the

Corporation are permitted, the project cannot be completed.

Indisputably, forests are a much wanted national asset. On account of the depletion thereof ecology has been disturbed, climate has undergone a major change and rains have become scanty. These have long-term adverse affects on national economy as also on the living process. At the same time, we cannot lose sight of the fact that for industrial growth as also for provision of improved living facilities there is great demand in this country for energy such as electricity. In fact, for quite some time the entire country in general and specific parts thereof, in particular, have suffered a tremendous set back in industrial activity for want of energy. A scheme to generate electricity, therefore, is equally of national importance and cannot be deferred. Keeping all these aspects in view and after hearing learned counsel for the parties in the presence of officers of the State Government and NTPC and representatives of the Banwasi Seva Ashram, we proceed to give the following directions:

- (1) So far as the lands which have already been declared as reserved forest under section 20 of the Act, the same would not form part of the Writ Petition and any direction made by this Court earlier, now or in future in this case would not relate to the same. In regard to the lands declared as reserved forest, it is, however, open to the claimants to establish their rights, if any, in any other appropriate proceeding. We express no opinion about the maintainability of such claim.
- (2) In regard to the lands notified under section 4 of the Act, even where no claim has been filed within the time specified in the notification as required under section 6(c) of the Act, such claims shall be allowed to be filed and dealt with in the manner detailed below:

- I. Within six weeks from 1.12.1986, demarcating pillars shall be raised by the Forest Officers of the State Government identifying the lands covered by the notification under section 4 of the Act. The fact that a notification has been made under section 4 of the Act, and demarcating pillars have been raised in the locality to clearly identify the property subjected to the notification shall be widely publicised by beat of drums in all the villages and surrounding areas concerned. Copies of notices printed in Hindi in abundant number will be circulated through the Gram Sabhas giving reasonable specifications of the lands which are covered by the notification. Sufficient number of Inquiry Booths would be set up within the notified area so as to enable the people of the area likely to be affected by the notification to get the information as to whether their lands are affected by the notification, so as to enable them to decide whether any claim need be filed. The Gram Sabhas shall give wide publicity to the matter at their level. Demarcation, as indicated above, shall be completed by 15.1.1987. Within three months therefrom, claims as contemplated under section 6 (o) shall be received as provided by the statute.
- up. 15.1.87
- II. Adequate number of record officers shall be appointed by 31st December, 1986. There shall also be five experienced Additional District Judges, one each to be located at Dudhi, Muirpur, Kirbil of Dudhi Tehsil and Robertsganj and Tilbudwa of Robertsganj Tehsil. Each of these Additional District Judges who will be spared by the High-Court of Allahabad, would have his establishment at one of the places indicated and the State shall

provide the requisite number of assistants and other employees for their efficient functioning. The learned Chief Justice of the Allahabad High Court is requested to make the services of five experienced Additional District Judges available for the purpose by 45th December, 1986 so that these officers may be posted at their respective stations by the first of January, 1987. Each of these Additional District Judges would be entitled to thirty per cent of the salary as allowance during the period of their work. Each additional District Judge would work at such of the five notified places that would be fixed up by the District Judge of Mirzapur before 20th of December, 1986. These Additional District Judges would exercise the powers of the Appellate Authority as provided under section 17 of the Act.

III. After the Forest Settlement Officer has done the needful under the provisions of the Act, the findings with the requisite papers shall be placed before the Additional District Judge of the area even though no appeal is filed and the same shall be scrutinized as if an appeal has been taken against the order of the authority and the order of the Additional District Judge passed therein shall be taken to be the order contemplated under the Act.

(3) When the Appellate Authority finds that the claim is admissible, the State Government shall (and it is agreed before us) honour the said decision and proceed to implement the same. Status quo in regard to possession in respect of lands covered by the notification under section 4 shall continue as at present until the determination by the appellated authority and no notification under section 20 of the Act shall be made in regard to these lands until such appellate decision has been made.

22

(4) Necessary assistance by way of Legal Aid shall be provided to the claimants or persons seeking to raise claim and for facilitating obtaining of requisite information for lodging of claims, actual lodging of claims and substantiating the same both at the original, as also the appellate stage as contemplated, by the claimant legal aid shall be extended to the claimants, without requisite compliance of the procedure laid down by the Legal aid Board. The Legal Aid and Advice Board of Uttar Pradesh and the District Legal Aid and advice Committee of Mirzapur shall take appropriate steps to ensure availability of such assistance at the five places indicated above. the purpose of ensuring the provision of such legal aid State of Uttar Pradesh has agreed to deposit a sum of Rupees five lakhs with the District Legal Aid Committee headed by the District Judge of Mirzapur and has undertaken to deposit such further funds as will be necessary from time to time. It shall be open to the District Legal Aid Committee under the supervision of the State Legal Aid Board to provide legal aid either by itself or through any Social Action Groups, like the Banwari Seva Ashram.

(5) The land sought to be acquired for the Rihand Super Thermal power project of the NTPC shall be freed from the ban of dispossession. Such land is said to be about 153 acres for Ash Pipe Line and 1643 acres for Ash Dyke and are located in the villages of Khamariya, Mithanai, Parbatwa, Jheelotola, Dodhar and Jarha. Possession thereof may be taken after complying with the provisions of the Land Acquisition Act, but such possession should be taken in the presence of one of the commissioners who are being appointed by this order and a detailed record of the nature and extent of the land, the name of the person who is being dispossessed and the nature of enjoyment of the land and all other relevant particulars

should be kept for appropriate use in future. Such records shall be duly certified by the Commissioner in whose presence possession is taken and the same should be available for use in all proceedings that may be taken subsequently.

The NTPC has agreed before the Court that it shall strictly follow the policy on "facilities to be given to land oustees" as placed before the Court in the matter of lands which are subjected to acquisition for its purpose. The same shall be taken as an undertaking to the Court.

(6) It is agreed that when a claim is established appropriate title-deed would be issued to the claimant within a reasonable time by the appropriate authority.

(7) The court appoints the following as a Board of Commissioners to supervise the operations and oversee the implementation of the directions given.

(i) Mr.P.R. Vyas Bhiman (I.A.S. retired).

Executive-chairman of the State Board of Revenue, U.P. now residing at Lucknow;

(ii) Dr. Vasudha Dhagamwari;

(iii) A representative to be nominated by the Banwasi Seva Ashram.

The committee shall be provided by the State Govt. with transport facilities and the appropriate infrastructure. This should be completed before 31st December, 1986.

In the affidavit filed by Shri Yadav, Joint Secretary to the State Government on November 7, 1986, certain instructions of the State Government have been detailed. To the extent the instructions are not superseded by the Court's directions in to-day's order the same shall remain effective.

24

We must express our satisfaction in regard to the co-operation shown by the parties. Mr.Gopal Subramaniam appearing for the State of Uttar Pradesh has taken considerable pains to give shape to the matter. Mr.Ramamurti for the petitioner has also done considerable work in evolving the ambit of the guidelines which we have adopted. We hope that all parties concerned with the matter would exhibit the proper spirit necessary to successfully complete the assignment. We give liberty to parties to move for directions as and when necessary. The Board of Commissioner shall also be at liberty to approach this court for directions when necessary for implementing the present arrangements.

CJ

J  
(CHANGANATH MISRA)

NEW DELHI:  
NOVEMBER 20, 1986.

39

Item No. 24.

Court No.3

Section XV

SUPREME COURT OF INDIA  
RECORD OF PROCEEDINGS

Criminal, Miscellaneous Petition No.4596-97/88 (In WP.(Crl.)  
No.1061/82).

Banwasi Seva Ashram. Petitioner(S)/Appellant(S).

-Versus-

State of U.P. & Ors.  
(For directions & Exemption). Respondent(S).

Date: 14.12.88. This matter was called on for hearing today.

## CORAM:

Hon'ble Mr.Justice Rengonath Misra.

Hon'ble Mr.Justice M.H.Venkatachaliyah.

Hon'ble Mr.Justice

For the applicant/ :Mr.K.Parasaram,A.G.  
Respdt.(NTPC). :Mr.Faqir Chand,Mr.JC.Seth,Mr.DD.  
Sharma,Adv.

For the Opposite :Mr.MK.Ramamurthy,Sr.Adv.  
Party: :Mr.M.A.Krishnamurthy,adv.and  
:Mr. G.Ramamurthy,Adv.

For r.r. :Mr.Hemant Sharma,Ms.A.Subhashini,Adv.  
:Mr.B.Buri,Adv.  
:Mr.G.Subramanian,Adv.  
:Mr.D.Bhandari,Adv.  
:Mr.M.Qamaruddin,Adv.  
:::Mr.BF.Bhatnagar,Adv.  
:Dr.Bharne,Adv.  
:Mr.CVS.Rao,Adv.

UPON hearing counsel the Court made the following  
O R D E R

The request for adjournment on account of the fact  
that the Commissioners are not present in Court as directed  
is rejected in view of the urgency of the matter.

Learned Attorney General submits that the N.T.P.C.,  
A Public Sector Undertaking, is suffering huge loss every  
day on account of the non-clearance of the lands acquired  
for the purpose of N.T.P.C. The earlier order made by the  
Court has not been implemented.

Mr.Pandey, one of the Commissioners, is directed to  
visit.

-2-

40

the locality where the lands ~~acquired~~ required for N.T.P.C. are located and to take immediate steps to ensure that the acquired land is released in favour of the Corporation within two weeks from today. Care should be taken to ensure that the interests of the residents within the area are not affected. Once this process is done, N.T.P.C. would be free to proceed with its work and there would be no prohibition against the N.T.P.C. in regard to the acquired lands.

The local authorities of the State Government shall cooperate in implementing this order. The learned Attorney General has undertaken before us that whatever be the appropriate compensation to be ordered either by the authorities or by this Court shall be deposited in this Court as and when directed.

Copy of the order may be made available to the counsel for the N.T.P.C. and an extra copy may be given him to serve on the Commissioners. Civil Misc. Petition is disposed of accordingly.

Sd/-  
( RAJ GOPAL)  
Court Master.

पांडेय

कार्यालय चौरां आफ कमिशनर  
गुम्भीर कोटे आफ इंद्रधा  
प्रभा, २०८२, पुण्यपात्र (उत्तर प्रदेश)

URGENT  
BY HAND

ANEX-5

प्राप्ति.....

16.9.1989  
क्रमांक.....

To  
The Conservator of Forests  
Varanasi II,  
Allahabad

Dear Sir,

*P.D.O. 42*  
Deputy Manager (Administration), NTPC, has brought to my notice that inspite of my directions, the Divisional Forest Officer, Renukoot, is not permitting them to carry on Project works on the Section 4 land occupancies which has already been verified and transferred to them. Reference has been made to a note from Forest Range Officer, Jarha to this effect.

*h  
R.P.  
all clear*  
In this connection I would like to mention that verification and transfer of occupancies has already taken place in compliance of the order of the Hon'ble Supreme court dated 20.11.86. Hence it would be a clear violation of the order of Hon'ble Supreme court dated 8/2/89 if any obstruction is caused by the Forest Department in the construction work of the NTPC Project. I would therefore suggest that necessary directions be issued to the DFO to refrain from obstructing project works, otherwise serious legal consequences may follow.

Yours sincerely,

( R.P. Pandey )

Copy to : 1) ✓

D.M./SSP, District Sonbhadra, U.P. to ensure that all assistance is made available to the NTPC to carry on their Project works.

Shri P.N. Tripathi, D.F.O. Renukoot, with the remarks that he should not obstruct in the construction work of the project of the NTPC.

Shri S.C. Bansal, Dy. Manager (Admn), NTPC with the remarks that they should go on with the construction work on the occupancies verified and transferred to NTPC.

*R.P. Pandey*  
(R.P. Pandey) डेय

क्रमांक

मुख्यमंत्री का संसदीय अधिकार

भारत सरकार  
नियंत्रण एवं वन मंत्रालय  
Government of India  
Ministry of Environment & Forests

NO. ०-४१२/८९-FC

ANEX-6

दूरध्वाय :  
Telephone No.  
गार :  
Telegram : PARYAVARAN,  
NEW DELHI  
पर्यावरण भवन, को. बी. ओ. कॉम्प्लेक्स  
PARYAVARAN BHAWAN, C.G.O. COMPLEX  
लोडी रोड, नई दिल्ली-११०००३  
LODI ROAD, NEW DELHI-110003

Dated the, 27th Sept., 1989.

To

The Secretary Forests,  
Uttar Pradesh, Lucknow.

Sub: Transfer of 951.620 ha. of forest land to NTPC for construction  
of Rihand Super Thermal Power Project in Seebhadar Distt.

Sir,

I am directed to refer to your letter NO.L-83/14-3-975/83  
dated 19.9.89 on the above subject and to inform that the information  
submitted is still incomplete in following respects.

1. It is noticed that work is going on in the project area and  
835.622 acres of land is already in the possession of NTPC.  
This is a violation of the Act. It may be informed what  
action State Govt. has taken for the violation of the Act.
2. The State Govt. has not identified the land required for  
compensatory afforestation from the land bank. The same may be  
done at the earliest.

The above information should reach within one month time  
failing which the case will be treated as rejected for non furnishing  
of information.

Yours faithfully,

( Khazan Singh )  
Asstt. Inspector General of Forests.

Copy to: Nodal Officer, UP, Lucknow.

2. CCF, Central, Regional Office, Lucknow with a request to  
submit the inspection report at the earliest as requested  
vide this Ministry letter of even number dated 4.9.89.

27/9/89  
( Khazan Singh )  
AIG(FC)

१० श्री एलंगो गणा  
पित्तापित्ताकर्त्तामना,  
उत्तर पुरेष्ठा शाश्वत ।

तमिल,  
भारत तरफार,  
पवार्करा इव पन मंत्रालय,  
पन इव पत्ता चक्र विभाग,  
तीजोरो ओरो कैट्टालेश्वरा,  
तोडी रोड़, नदी दिल्ली ।

लगानी/ दिनांक/ १५ अक्टूबर, १९८९

અનુભૂતિ ૩

प्रांगण ३ अधिकारी का नाम : श्रीमति पावर गोविंद के द्वितीय जन्म विवाह।  
प्रियकारी :- जन्माद सोनभट्टा, मिजापुर। मैं हिन्दू समाज का लोकप्रिय विवाह।  
मेरी उम्र २५ वर्ष। विवाह का वर्ष १९७०। विवाह का वर्ष १९७०। विवाह का वर्ष १९७०।

गुडोदप,

महोदय, उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- B-412/39- स्फूटी-० दिनांक: 27-७-१९४९  
में संभव में भारत राजकारण द्वारा बांग्ला सूचना से सम्बन्धित दिनद्वारा विपरग

लिंगायती

III :- सन०टीपीसी० एपि को ८३५.६२२ रुपये पर्याप्त भूमि का क्षेत्र माननीय सर्वोच्च स्थायान्त्रप के निर्णायक दिनांक: १४-१२-१९८८ के अधीन निपुणता सदर्हनप् शोड़ जाक कागिरानर, ऐ द्वारा सन०टीपीसी० एपि को दिया गया।

121 इतिहासी कीकरण हेतु गिरजाका संघातों पर विभिन्न विवरणों का जहाँ तक पुरान है, उस सम्बन्ध में निषेद्धन फरना है कि इस हेतु लेडे कीक ते 954-36 हेठो येर घन भूमि धिन्हित कर ली गयी है। पुराने पित उपरोक्त भूमि के समस्त प्रियरणा पर मानवित्र आदि संतरगन कर प्रेषित है।

प्रेरिता है।  
धर्मिति त्विधीति में सुन्दर कहने का नियम हुआ है कि आप शूलकार गामों में  
भारत सरकार की पारिता अनुमति प्राप्त कर इस राज्य सरकार को प्राप्ति उपलब्ध  
कराने का कष्ट होए।

## । रसीदी गुप्ता ।

~~प्र० संख्या १८५~~

२३९४ उ/१५-२-७५/८३। उपग्रहितम्।

उक्तादिमात्रा । अतः संख्या २३९७ U/14-३-१७२/८३ उक्तादिमात्रा ।  
 वित्तिलिपि जिम्मेदारी को सम्बन्ध एवं आपात्कालीन कार्यालयी हेतु प्रधित:-  
 विन सरधक यन उपर्योग यथा, एवं मावले जापिकरी ३००, रुपा० रुपा० ।  
 यहां प्रबन्धाल, रिहन्द तुपर, यात्रा पायर फूलपट, पौ० - रिहन्द नगर,  
 यहां प्रबन्धाल, रिहन्द तुपर, यात्रा पायर फूलपट, पौ० - २३१२२३  
 तीनमध्ये रुपिणी। पिन कोड पौ० २३१२२३

उत्तरांश

॥ श्रीमद्भागवतः ॥

॥ रसोऽगुप्ता ॥

विष्णुकापादिकरी पन ॥

43

Item No.7

Court No.1

Section XV.

SUPREME COURT OF INDIA

167541.

record of proceeding

WRIT PETITION(S) (CIVIL) NO. (S) 1061 OF 1982.

Bawali Govt Ashram. ....Petitioner(s)

-Versus-

State of U.P. ....Respondent(s).

Date 8.2.1989 This/these petition(s) was/were called  
on for hearing today.

COURT:

HON'BLE MR.JUSTICE RANGANATH MISRA

HON'BLE MR.JUSTICE M.N.VENKATACHALIAH

For the Petitioner(s) Mr.MA.Krishnamurthy,Mrs.Chandann  
Ramamurthi,Adv.

For rr. Mr.Gopal Subramaniam,Adv.

Mr.D.Bhandari,Adv.

For the Respondent(s) Ms.A.Subhashini, Mrs.Sushma  
Suri,Adv.

For rr.NTPC. M/s.J.O.Seth,D.D.Sharma,Adv.

--UPON Hearing counsel the Court Made the  
following ORDEROn November 20, 1986, this Court made the  
following order, as far as the Rihand Super  
Thermal Power Project of the N.T.P.C is concerned;

"The land sought to be acquired for the  
Rihand Super Thermal Power Project of the N.T.P.C.  
shall be freed from the ban of dispossession.

Such land is said to be about 153 acres for Ash  
Pipe Line and 1643 acres for Ash Dyke and are  
located in the villages of Khamakiya, Mithanoli,  
Parsbatwa, Jheeltola, Dodhar and Jhorha.

Possession thereof may be taken after complying with the provisions of the Land Acquisition Act, but such possession should be taken in the presence of one of the Commissioners who are being appointed by this order and a detailed record of the nature and extent of the land, the name of the person who is being dispossessed and the nature of enjoyment of the land and all other relevant particulars should be kept for appropriate use in future. Such records shall be duly certified by the Commissioner in whose presence possession is taken and the same should be available for use in all proceedings that may be taken subsequently."

The N.T.P.C. has agreed before the Court that it shall strictly follow the policy or facilities to be given to land oustees as placed before the Court in the matter of lands which are subjected to acquisition for its purposes. The same shall be taken as an undertaking to the Court."

At it appears the requirement of the N.T.P.C. has now increased to 2495 acres. Out of these land 1322 acres are said to be under occupancy, 185 acres constitute Goan Sabha Lands and 987 acres are said to be forest lands. (791) acres of these lands soon to have been notified as reserved forest under section 20 of the Indian Forest Act, 1927, they are outside the purview of the writ petition as already directed by this Court. Rulings of such lands can only be done by satisfying the requirement of the Forest (Conservation) Act, 1980 and our order has, therefore, nothing to do with those (791) acres of land.

45

(195) acres are said to be covered by a Notification under section 4 of the Forest Act. The balance of 942 acres seem to have been notified under section 4 of the Forest Act and they are covered by the present survey and record operations under the supervision of the Commissioners appointed by the Court. So far as the lands covered by survey and record operations shall be completed upto the level of A.R.O. within an outer limit of 20 days from today. Counsel for the N.T.P.C. says that this has already been done while petitioner's counsel does not accept this position. We make it clear that in case the record upto A.R.C. level has been completed, the same need not be repeated but in case it has not been done, immediate steps should be taken to complete the operations upto that level. Mr. Pandey, one of the Commissioners, is directed to ensure that the work is continued and the record upto the level of A.R.O. in regard to the lands is completed and on the basis of such record containing the particulars indicated in our directions of November, 1986, possession has to be made over to N.T.P.C. Mr. Gopal Subramonium has assured us that all facilities would be extended to Mr. Pandey to comply with this direction.

We are of the view that the lands which are subjected to the notification under Section 4 of the

Forest Act, would also come within the purview of Sec. 2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 and it would, therefore, be necessary for the N.T.P.C. to obtain appropriate clearance under that Act from the appropriate authority.

After the records, as stated above, are completed Mr. Pandey is directed to hand over the possession of the land to N.T.P.C. We hope and trust that the records should properly reflect the existing position so that persons who may be entitled to compensation may not in any manner be prejudiced. Counsel for the N.T.P.C. undertakes to comply with the conditions mentioned in the minutes of the meeting held on 27th December, 1988, a copy whereof is placed on record.

List this matter after six weeks for directions.

(K. BALA SOOD)  
COURT MASTER.

Annex-S

D.O.NO. 1061/82/SEC-XV.

Supreme Court of India.  
New Delhi.

Dated the 13th February, 1939.

From,

Mr. V.P. Gupta,  
Assistant Registrar.

To,

1. Judicial 'A' Secretary,  
State of Uttar Pradesh,  
Lucknow.
2. Mr. R.P. Pandey,  
Commissioner,  
33/2, Stainly Road,  
Allahabad (U.P) (O.P)

IN THIS MATTER OF :-

WRIT PETITION (CRIMINAL) NO. 1061 OF 1932,  
(Under Article 32 of the Constitution of India)

Banwasi Sewa Ashram

.....Petitioner

Versus

State of U.P.

.....Respondent

Sir,

In Continuation of this Registry's letter of even number dated the 17th December, 1938, I am directed to forward herewith for your information and necessary action a Certified Copy of the order of the Supreme Court as contained in the Record of Proceedings of the Court dated the 8th February, 1939, passed in the petition above-mentioned.

Please acknowledge receipt.

Yours Faithfully,  
sd/ Assistant Registrar

No. 1495/14-3-975/83

AM-5Y-10

प्रेस,

श्री गोपी मोहन श्रीवास्तव  
संयुक्त अधिकारी  
उपराजपाल ।

देवा मे,

वन संरक्षक  
वन उपराजपाल वृत्ति  
एव नाड़ी अधिकारी  
उपराज, लखनऊ ।

वन अनुभाग-3

विष्णु रिहन्द्युपर अल्प पापर प्रोजेक्ट के निर्गम्य हेतु एनएटीपीसी० को यन्मूलि  
चत्तांतरण विष्णुक



लखनऊ दिनांक 12 जून 1987

महोदय,

उपर्युक्त विष्णुक शासन को पठायित आपके पत्र सं० 2953/13/11-डी-10  
(१२०) दिनांक १४-१-८७ के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक  
४ फरवरी १९८७ की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निषेद्ध हुआ है कि  
आपके कृमया मामले में तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कट करें ।

भवदीय,

ह०/ गोपी मोहन श्रीवास्तव  
संयुक्त अधिकारी ।

सं० 1495/18/14-3-975/83 तद दिनांक

प्रतिलिपि संलग्नक की प्रतिलिपि सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आदेश  
कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- वन संरक्षक, द०४०, उपराज, इलाहाबाद ।
- 2- ग्रहापूर्वक नेशनल अल्पपापर प्रोजेक्ट पो०आ०१रहन्द्युपर बीमापुर ।
- 3- वन अनुभाग-2

आज्ञा से,

ह०/ गोपी मोहन श्रीवास्तव  
संयुक्त अधिकारी ।

कार्यालय वन संरक्षक, द०४० वृत्ति, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

तिथि- ३/२/८७ / द०४०/ १५-१५ दिनांक, इलाहाबाद, मार्च ३/८७  
प्रतिलिपि मय संलग्नक प्रभागीय वनाधिकारी रेनकूट को सूचनार्थ एवं

आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । कृपया इस मामले में अपनी आछया भेजें ।

संलग्नक- उपरोक्त ।

७५

लखनऊ ३/८७ ॥ आर०स०श०श०ला ॥  
वन संरक्षक,  
उपराज, इलाहाबाद ।

३/२





EPI. OPERA.

प्रधानमंत्री का दस्तावेज़  
ग्रन्थालय, नई दिल्ली-४८  
पर्याप्ति संचाक एवं नियोग संकाय  
प्रधान मंत्री परिषद  
INSPECTION GENERAL OF FINESTS &  
SPECIAL SECRETARY  
GOVERNMENT OF INDIA A

Annex 13

No. 11-30/9G-F.C  
April 10, 1997

624 - 800 (201) 127

Dear Shri Arun,

89-1

As you are well aware, there have been difficulties and delays in identifying non-forest lands for raising compensatory afforestation under Forest (Conservation) Act, 1980. Our preferred notion has been to carry out afforestation over non-forest area equivalent to forest area being diverted. However, in case of non-availability of non-forest land, as certified by the respective Chief Secretaries, compensatory afforestation over degraded forest land twice in extent of area being diverted has been provided for.

Over a period of time, it has been observed that many important development projects in the central sector, which are of vital national importance, either get delayed, or remain a non-starter, due to delay in identifying and transferring suitable equivalent non-forest land to the concerned Forest Department. Be that as it may, it has also resulted in severe criticism of the Ministry as being instrumental in delaying such projects, resulting in cost and time escalations of the projects.

The issue was considered recently in the Committee of Secretaries (COS), Govt. of India, who have inter alia recommended that to avoid such delays in central sector projects, diversion of forest land may be permitted against compensatory afforestation on double the degraded land in the first instance.

After giving considerable and careful thought to the recommendations, the Ministry has decided to insert para 3.2 (viii) in the existing guidelines for central projects. The preamble alongwith a copy of the additional guideline is enclosed for ready reference and further necessary action at your end.

5. The Government of Madhya Pradesh and Rajasthan have indicated their willingness to create a "degraded forest plantation bank" which can be even availed of by the proponents of the central sector projects in other states, if the state governments, where such projects are sited, cannot undertake the compensatory afforestation within their own forest areas.

पुर्णिमा एवं सन मंत्रालय, पी. जी. बो. काम्पलेन्स, शोदी रोड, गई दिल्ली-110003

Ministry of Environment & Forests, C.G.O. Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003

Phone : 4361509 Fax : 4363957 Gram : 'PARYAVARAN'

:2:

6. Keeping in view the revised guidelines, I request you to henceforth submit the proposals for central sector projects providing for compensatory afforestation on double the degraded land, without insisting upon a certificate from the State Chief Secretaries as hitherto. In case, you find it difficult to locate suitable degraded forest land for compensatory afforestation for such central projects within the time frame, this may kindly be indicated in the body of the proposal itself. In such exigencies, the Ministry will allot areas for compensatory afforestation in degraded forest land bank already identified in either of the states of Madhya Pradesh and Rajasthan as per the cost norms indicated by the concerned government from time to time.

With regards,

Yours sincerely,  
  
(C.P. OBERAI)

Encl.: as above

Shri Panna Lal Punia,  
Secretary (Forests),  
Dept. of Environment & Forests,  
Govt. of Uttar Pradesh,  
Lucknow.

Fax: 0522-224538

F. No. 8-412/1989-FC (Pt.)  
 Government of India  
 Ministry of Environment, Forests and Climate Change  
 (FC Division)

Indira Paryavaran Bhawan,  
 Aliganj, for Bag Road,  
 New Delhi - 110003  
 Dated: 6<sup>th</sup> December, 2017

To

The Principal Secretary (Forests),  
 Government of Uttar Pradesh,  
 Lucknow.

Sub: Diversion of 146.31 ha of forest land for construction of Rihand Super Thermal Power Project Stage-III (2x500 MW) Ash Dam and Ash Pipe line in favour of in favour of NTPC in the Sonbhadra district of Uttar Pradesh- constitution of committee-reg.

Sir,

I am directed to refer to the State Government's letter No. 1564/II-C-794 dated 27.01.2017 in connection with the above subject proposal for prior approval of the Central Government under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980. The said proposal was at last placed before Forest Advisory Committee (FAC) in its meeting held on 16.11.2017. The detailed minutes of the FAC meeting held on 16.11.2017 is placed on the website of this Ministry: [www.Forestclearance.nic.in](http://www.Forestclearance.nic.in). After thorough deliberation in the said FAC meeting, the Committee inter-alia recommended that:

- i. Area which is subjected to the notification under section 4 of Indian Forest Act 1927 for which NTPC had applied for approval under Forest (Conservation) Act 1980 shall be treated as 'forest' even though not notified as 'Reserved Forest' under section 20 of Indian Forest Act 1927 and will be diverted as per the procedure laid down for Forest land diversion under section 2(ii) of the Forest (Conservation) Act 1980.
- ii. NTPC had taken possession of land which was subjected to the notification under section 4 of Indian Forest Act 1927. There was prolonged confusion on the status of forest land due to, different interpretations of court orders. Taking into consideration these facts no penalty will be imposed on NTPC for carrying out work over forest land after stage-I approval and without Stage II approval under Forest (Conservation) Act 1980 over section 4 notified forest land.
- iii. State government and NTPC will clearly identify the forest land utilised for RSTPP and prepare a detailed land use plan of entire 744 ha of forest land submitted for diversion and submit a detailed map on appropriate scale demarcating the area under existing RSTPP and the unused area out of 744 ha not required by NTPC. The unused forest land not required for RSTPP by NTPC shall be returned and taken in possession by the State Forest department immediately. Compensatory levies shall be calculated and realised as per actual land under possession of NTPC. The revised land use plan for the revised area (out of 744 ha) shall be submitted along with the compliance of conditions stipulated in stage-I issued by MoEF&CC on 23.08.1991.

*Sach*,  
 " 6.12.17

- iv. The compensatory levies as applicable to central PSU will be deposited by NTPC for revised forest land under existing RSTPP out of 744 ha of forest land.
- v. Period of lease for which the forest land is being diverted shall be specified by the State Government as per the projected life of the RSTPP.
- vi. State government shall ensure complete compliance of PRA prior to stage II approval.
- vii. NTPC and State Government shall submit the compliance of the conditions stipulated in stage-I granted on 23.08.1991 with revised forest land already under non-forestry use and surrender schedule and the proposal for Diversion of 146.31 ha of forest land for construction of RSTPP Stage-III (2x500 MW) ash dam and ash pipeline in favour of NTPC will be submitted after receipt of the stage-I compliance.
- viii. As recommended by the committee that a study to be carried out to analyse the use of abandoned mined pit as ash dyke in relation to possibility of leaching of heavy metal in Rihand Reservoir whose water is used for drinking water purposes. A detailed analysis of this fact shall be done prior to taking final decision on diversion of forest land for ash dyke. A detail analysis shall be carried out by reputed institute and cost of the analysis shall be borne by NTPC.

In view of the above, the State Government is requested to submit information/documents/clarification on the points, as intimated above to this Ministry for further consideration of the proposal in the Ministry.

Yours faithfully,

(Sandeep Sharma)

Assistant Inspector General of Forests (FC)

**Copy to:**

1. The Principal Chief Conservator of Forests Government of Uttar Pradesh, Lucknow.
2. The Nodal Officer, Office of the PCCF, Government of Uttar Pradesh, Lucknow.
3. The Addl. PCCF (Central), Regional Office, Lucknow.
4. User Agency (General Manager, NTPC, Rihand, Sonbhadra, Uttar Pradesh).
5. Monitoring Cell, PC Division, MoEF, New Delhi
6. Guard file.

(Sandeep Sharma)

Assistant Inspector General of Forests (FC)

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक- 1606 / 11-सी-NTPC, लखनऊ, दिनांक: दिसम्बर 14, 2017।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित अधिकारियों को भारत सरकार नई दिल्ली के उपरोक्त निर्देशानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक अग्रेटर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- मुख्य वन संरक्षक, मिर्जापुर मण्डल, मिर्जापुर।

2- प्रभागीय चनाधिकारी, रेनूकूट वन प्रभाग, रेनूकूट।

3- कार्यकारी निदेशक, रिहन्द सुपर थर्मल पावर स्टेशन, रिहन्द नगर, बीजपुर, सोनभद्र।

(डा० प्रशान्त कुमार वर्मा)

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,

दिनांक 14.12.2017 को मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उम्प०, लखनऊ की अध्यक्षता में रिहन्द सुपर धर्मल पावर प्रोजेक्ट, रिहन्दगढ़-बीजपुर, जिला सोनपाट के गन्धूमि हरतांतरण के बाबत में भारत सरकार, नई दिल्ली के एफ०ए०री० की बैठक दिनांक 16.11.2017 को लिये गये निर्णय एवं भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र संख्या-८-४१२/१९८९-एफ०री०(पी०टी०), दिनांक ०६.१२.२०१७ के क्रम में समाप्त हुगी बैठक का कार्यवृत्त।

रिहन्द सुपर धर्मल पावर प्रोजेक्ट, रिहन्दगढ़-बीजपुर, जिला सोनपाट के गन्धूमि हरतांतरण के सम्बन्ध में भारत सरकार, नई दिल्ली के एफ०ए०री० की बैठक दिनांक 16.11.2017 को लिये गये निर्णय एवं भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या-८-४१२/१९८९-एफ०री०(पी०टी०), दिनांक ०६.१२.२०१७ के क्रम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उम्प०, लखनऊ की अध्यक्षता में दिनांक 14.12.2017 को अपराह्न १०० बजे बैठक आयोजित की गई, जिसमें श्री आर०आर० जग्मार, लखनऊ की अधिकारियों की सूची संलग्न है।

विषयगत प्रकरण में भारत सरकार, नई दिल्ली के एफ०ए०री० की बैठक दिनांक 16.11.2017 एवं भरिता अन्य अधिकारियों की सूची संलग्न है।

विषयगत प्रकरण में भारत सरकार, नई दिल्ली के एफ०ए०री० की बैठक दिनांक 16.11.2017 एवं भरिता सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या-८-४१२/१९८९-एफ०री०(पी०टी०), दिनांक ०६.१२.२०१७ के क्रम में निम्न लिखित निर्णय लिये गये—

- भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 23.०६.१९९१ के द्वारा रीद्वान्तिक स्थीकृति प्राप्त ७४४ हेठल वन भूमि में एन०टी०पी०सी० द्वारा उपयोग में लाई जा रही वन भूमि का भौके पर विनाकन करते हुये कुल वास्तविक संशोधित वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, १९८० के नवीन दिशा निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन प्रस्ताव एन०टी०पी०सी० द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा, जिसमें वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार उक्त वन भूमि का जियो रिफरेंज डिजिटल मैप, क०ए०एल० फाईल की सी०डी० एवं एस०ओ०आई० ट्रॉफोर्म आदि सहित पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।
- एन०टी०पी०सी० द्वारा उपरोक्तानुसार उपयोग में लाई जा रही संशोधित चिह्नित वन भूमि का Land use define करेंगे।
- एन०टी०पी०सी० द्वारा उपयोग में लाई जा रही संशोधित वन भूमि को अतिरिक्त उपयोग में ना लाई जा रही वन भूमि को वन विनाग के पास में वापस करनी होगी, जिस हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाधारी, उम्प० लखनऊ के दिशा-निर्देशों के अनुसार मुख्य वन संरक्षक, मिर्जापुर क्षेत्र, मिर्जापुर द्वारा हरतांतरण की कार्यवाही सम्पन्न करायी जायेगी।
- एन०टी०पी०सी० द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले संशोधित प्रस्ताव में शुद्ध वर्तमान मूल्य को पूर्दे में जगा की पाई गई शुद्ध वर्तमान मूल्य की घनशयि रो समायोजित किया जायेगा।
- राशोधित वन भूमि हरतांतरण के प्रस्ताव में भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार क्षतिपूर्ति हेतु दूगने अवनत वन भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण की १० वर्षों के अनुस्कण सहित आवश्यक घनशयि वर्तमान संशोधित दर के अनुसार गाँग की जायेगी, जिसमें एन०टी०पी०सी० द्वारा पूर्व में जगा की गई क्षतिपूरक वृक्षारोपण की घनराशि को समायोजित किया जायेगा।
- एन०टी०पी०सी० द्वारा संशोधित यात्राविक क्षेत्रफल के अनुसार प्रस्तुत प्रस्ताव का सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वन अधिकार अधिनियम, २००६ के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।
- एन०टी०पी०सी० के द्वारा उपरोक्त कार्यवाही के साथ भारत सरकार के पत्र दिनांक 23.०६.१९९१ द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्थीकृति की पूर्ण विन्दुओं अनुपालन आद्या भी प्रस्तुत की जायेगी।
- भारत सरकार के पत्र दिनांक ०६.१२.२०१७ में दिये गये निर्देश के क्रम में एन०टी०पी०सी० को निर्देशित किया गया कि वन सलाहकार समिति के निर्णय के अनुपालन में एस डाईक को छोड़े गये खनन क्षेत्रों में उभा करने रो हेवी मेटल के रिहन्द रिजरवेशर जलाशय में लीन करने की सम्भावना पर एक अध्ययन National Economic and Environmental Research Institute, Nagpur से तत्काल कराते हुये उनकी रिपोर्ट इस कार्यालय के माध्यम से भारत सरकार, नई दिल्ली को उपलब्ध कराया जायेगा।
- अन्त में बैठक सम्पन्नवाद सहित समाप्त हुयी।

(डॉ प्रधाननंद कुमार पामी)  
मुख्य वनस्पति वर्कशॉप/नोडल अधिकारी,  
वन (संरक्षण) अधिनियम, १९८०  
५५५ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक— १६०७/११-सी-बैठक, दिनांक, लखनऊ, दिसम्बर १५, २०१७

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को उपरोक्त के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

१. सहायक वन महानिरीक्षक (एफ०८१०), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन गंत्रालय, इण्डिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली।
२. प्रभुख सचिव, वन एवं वन्यजीव अनुगम-२, उ०८० शासन, लखनऊ।
३. मुख्य वन संरक्षक / कार्यकारी अधिकारी, उ०८० कैम्पा, लखनऊ।
४. मुख्य वन संरक्षक, गीरजापुर क्षेत्र, गीरजापुर।
५. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनूकूट वन प्रभाग, रेनूकूट।
६. कार्यकारी निदेशक, रिहन्द सुपर धर्मल पावर स्टेशन, रिहन्द नगर, वीजपुर, सोनभद्र।

(१०२) १५/१५  
(डॉ प्रशान्त कुमार यमी)  
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,  
वन (संरक्षण) अधिनियम, १९८०  
१५ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

Sub: Regularisation of 555.759 Ha of diverted forest land for the construction of Rihand Super Thermal Power Project under Renukoot Forest Division in Sonbhadra District of Uttar Pradesh (Online Proposal No. FP/UP/THE/36097/2018) - regarding-

क्रम संख्या	बिन्दुवार आख्या
01	16.11.2017 में एफएसी के निर्णय एवं भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र संख्या 8-412/1989 एफ०सी० (पी०टी०) दिनांक 06.12.2017 के क्रम में दिनांक 14.12.2017 को मुद्रण संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में रिहंद सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट रिहंद संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ के बैठक आयोजित की गयी जिसमें एनटीपीसी द्वारा 05 बिन्दुओं पर कार्य करने का निर्देश दिया गया। इन बिन्दुओं पर कार्य कर प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दिनांक 03.11.2018 को ऑन लाइन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।
02	दिनांक 14.11.2018 को कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक संख्या 997/11-सी- FP/UP/The/36097/2018, लखनऊ दिनांक 13.11.2018, द्वारा ईडीएस भेजा गया जिसके अनुपालन में 03.03.2020 को उल्लिखित बिन्दुओं का अनुपालन कराते हुये ऑन लाइन प्रस्ताव पोर्टल पर अपलोड किया गया।
03	दिनांक 12.03.2020 को कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ द्वारा (FP/UP/THE/36097/2018-EDS raised on 12.03.2020) 20 आपत्तियों के साथ भेजा गया। जिसके अनुपालन में 12.03.2021 को उल्लिखित 20 बिन्दुओं का अनुपालन कराते हुये प्रस्ताव ऑन लाइन पोर्टल पर अपलोड किया गया।
04	दिनांक 26.03.2021 को कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ द्वारा (FP/UP/THE/36097/2018-EDS raised on 26.03.2021) 07 आपत्तियों के साथ भेजा गया। जिसके अनुपालन में 04.01.2022 को उल्लिखित 07 बिन्दुओं का अनुपालन कराते हुये प्रस्ताव ऑन लाइन पोर्टल पर अपलोड किया गया।
05	दिनांक 18.02.2022 को कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ द्वारा FP/UP/THE/36097/2018-EDS raised on 18.02.2022 भेजा गया जिसमें विषयांकित प्रकरण में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली में आहूत एफएसी की बैठक दिनांक 16.11.2017 की कार्यवृत्त में उल्लिखित बिन्दुओं, तदक्रम में भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक-8/412/1989-एफसीपीटी, दिनांक 06.12.2017 द्वारा दिये गए निर्देश एवं इसी क्रम में मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा संबन्धित पक्षों के साथ दिनांक 06.12.2017 को हुई बैठक, जिसका कार्यवृत्त इस कार्यालय के पत्रांक 1607/11-सी-दिनांक 06.12.2017 द्वारा पूर्व में जारी किया गया है, उक्त कार्यवृत्त में दिये गए निर्देशानुसार कृत कार्यवाही की बिन्दुवार अनुपालन आख्या अभिलेखों सहित चाही गयी थी।
	उक्त कार्यवृत्त का अनुपालन आख्या अभिलेखों सहित दिनांक 05.04.2022 को अपलोड किया गया।

21 अप्रैल 2022  
02-11-24

संतोष कुमार उपाध्यक्ष  
उप मन्त्रपर्याप्तक (आजव चंद्रशेखर)  
Dy. General Manager (HR)  
एनटीपीसी डिविलेंग-रिहंद (3.9.) 231223  
NTPC Limited-Rihand (U.P.) 231223

06	दिनांक 27.04.2022 को कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवाया परिवर्तन विभाग उ०प्र० लखनऊ द्वारा पत्रांक 3052/11-सी, लखनऊ, दिनांक 27.04.2022 भेजा गया जिसमें अब तक कृत कार्यवाही का विवरण सुरांगत अभिलेखों सहित प्रेषित करने का आदेश किया गया था। उक्त के क्रम में समस्त सुरांगत अभिलेखों को बिन्दुतार कृत कार्यवाही का विवरण 19.05.2022 को पोर्टल पर अपलोड किया गया।
07	दिनांक 01.10.2022 को प्रस्ताव से संबंधित समस्त दस्तावेज़ की हाई कॉपी 06 प्रतियों में श्रीमान प्रभागीय वनाधिकारी रेनकूट वन प्रभाग रेनकूट में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा जमा किया गया। जिसे समस्त अभिलेखों सहित दिनांक 12.10.2022 को पोर्टल पर अपलोड किया गया, तत्पथ्यात् भाग-॥ की कार्यवाही पूर्ण करते हुये वन प्रभाग रेनकूट द्वारा दिनांक 17.11.2022 को समस्त अभिलेखों सहित पोर्टल पर अपलोड किया गया।
08	उक्त प्रकरण के विषय में मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी मिजापुर द्वारा पुनः दिनांक 30.12.2022 द्वारा 16 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गयी जिसका निराकरण करते हुये प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दिनांक 28.02.2023 को प्रस्तुत किया गया।
09	दिनांक 06.04.2023 को कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवाया परिवर्तन विभाग उ०प्र० लखनऊ द्वारा पत्रांक 3179/11-सी, लखनऊ, दिनांक 03.04.2023 भेजा गया। जिसका निराकरण करते हुये 23.06.2023 को प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पोर्टल पर अपलोड किया गया।
10	कार्यालय मुख्य वन संरक्षक मिजापुर क्षेत्र मिजापुर पत्रांक संख्या 649/मी०क्षे०/३३/मिजापुर दिनांक 16.08.2023 द्वारा दिनांक 23.08.2023 को ईडीएस भेजकर जानकारी चाही गयी। उक्त प्रकरण का निराकरण करते हुये दिनांक 12.09.2023 को पोर्टल पर अपलोड किया गया।
11	उक्त के क्रम में कार्यवाही करते हुये अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रभाग स्तर से वांछित उत्तर संलग्न करते हुये प्रस्ताव को मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से राज्य सरकार को प्रस्तुत किया गया।

एनटीपीसी/रिहंदनगर के लिए  
एवं उसकी ओर से

21 अक्टूबर  
02.11.24


संतोष कुमार उपाध्याय  
उप महाप्रबंधक (मा०सं०)

Santosh Kumar Upadhyay  
उप बहालबंधक (गानव संस्थान)  
Dy. General Manager (H.R.)  
एनटीपीसी लिमिटेड- रिहंद (उ.प.) 231223  
NTPC Limited-Rihand (U.P.) 231223

## प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि, एनटीपीरी० रिहंद सुपर थर्मल पावर स्टेशन, रिहंदनगर-बीजपुर, जिला-सोनभद्र, (उ०प्र०) द्वारा रेनकूट वन प्रभाग के जरहा रेंज अंतर्गत ऐश डिस्पोसल यार्ड के निर्माण हेतु प्रस्तावित 146.31 हें वन भूमि में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कोई कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। प्रश्नात प्रस्ताव की स्वीकृति भारत सरकार / उ०प्र० सरकार द्वारा जारी होने के उपरांत निम्नानुसार कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

एनटीपीसी/रिहंदनगर के लिए  
एवं उसकी ओर से

  
०२-११-२५  
संतोष कुमार उपाध्याय  
उप महाप्रबंधक (मा०सं०)

संतोष कुमार उपाध्याय  
Santosh Kumar Upadhyay  
उप महाप्रबंधक (भाजव संसाधन)  
Dy. General Manager (HR)  
एनटीपीसी लिमिटेड-रिहंद (उ.प.) २३१२२३  
NTPC Limited-Rihand (U.P.) 231223